बहु-विवाह

प्रश्न :- मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्या है?
अर्थात् इस्लाम एक से अधिक विवाह की अनुमति क्यों देता है?

उत्तर :- बहु-विवाह की परिभाषा-इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार व्यक्ति के एक से अधिक पत्नी या पति हों। बहु-विवाह दो प्रकार के होते हैं-

1. एक पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना।
2. एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पति रखना।

इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि एक पुरुष एक सीमा तक एक से अधिक पत्नी रख सकता है जबकि स्त्री के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि वह एक से अधिक पति रखे।

अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इस्लाम में एक आदमी को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है?

1. पवित्र कुरान ही संसार की धार्मिक पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक है जो कहती है 'केवल एक औरत से विवाह करो।'

संसार में कुरान ही ऐसी एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जिसमें यह बात कही गई है कि 'केवल एक (औरत) से विवाह करो', दूसरी कोई धार्मिक पुस्तक ऐसी नहीं जो केवल एक औरत से विवाह का निर्देश देती हो। किसी भी धार्मिक पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं पाते चाहे वेद', 'रामायण', 'गीता', हो या 'तलमुद' व 'बाइबल'। इन पुस्तकों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नी रख सकता है। बाद में हिन्दुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके केवल एक कर दी।

हम देखते हैं कि बहुत से हिन्दू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसा कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में चर्चा है, अनेक पत्नियाँ थीं। राम के पिता राजा दशरथ के एक से अधिक पत्नियाँ थीं, इसी प्रकार कृष्ण जी के भी अनेक पत्नियाँ थीं।

प्राचीन काल में ईसाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियाँ रखने की इजाजत थी, क्योंकि बाइबल पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती। मात्र कुछ सदी पहले गिरजा ने पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी।
यहूदी धर्म में भी बहु-विवाह की इजाजत है। तलमूद कानून के अनुसार इस्लामी की तीन परियाँ थीं और सुलेमान की सेकड़ों परियाँ थीं। इनमें बहु-विवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गरोम बिन यहूदा (960 ई.-1030 ई.) ने इसके खिलाफ हुक्म जारी किया। मुसलमान देशों में रहने वाले यहूदियों के पुर्वगाल समुदाय में यह रिवाज 1950 ई. तक प्रचलित रहा और अन्ततः इस्राइल के चैफ रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाई।

2. मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू अधिक परियाँ रखते हैं

सन 1975 ई. में प्रकाशित ‘इस्लाम में औरत का स्थान कमेटी’ की रिपोर्ट में पूर्व संख्या 66, 67 में बताया गया है कि 1951 ई. और 1961 ई. के मध्य हिन्दूओं में बहु-विवाह 5.06 प्रतिशत था जबकि मुसलमानों में केवल 4.31 प्रतिशत था। भारतीय कानून में केवल मुसलमानों को ही एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और गैर-मुस्लिमों के लिए एक से अधिक पत्नी रखना भारत में गैर-कानूनी है। इसके बावजूद हिन्दूओं के पास मुसलमानों की तुलना में अधिक परियाँ होती हैं। भूतकाल में हिन्दुओं पर भी इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। कई परियाँ रखने की उन्हें अनुमति थी। ऐसा सन 1954 ई. में हुआ जब हिन्दू विवाह कानून लागू किया गया जिसके अंतर्गत हिन्दुओं को बहु-विवाह की अनुमति नहीं रही और इसके गैर-कानूनी कार्रवाई दिया गया। यह भारतीय कानून है जो हिन्दुओं पर एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाता है, न कि हिन्दू धार्मिक ग्रंथ।

अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि इस्लाम एक पुरुष को बहु-विवाह की अनुमति क्यों देता है?

3. पवित्र कुरान सीमित बहु-विवाह की अनुमति देता है

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पवित्र कुरान ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो निर्देश देता है कि ‘केवल एक (औरत) से विवाह करो’ कुरान में है-
“अपनी पसंद की औरत से विवाह करो दो, तीन अथवा चार, पत्नु यदि तुम्हें हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सकते तो तुम केवल एक (औरत) से विवाह करो” (कुरान, 4:3)
कुरान के अवसर थे से पूर्व बहु-विवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बढ़ी संख्या में परियाँ रखते थे और कुछ के बाद तो सेकड़ों परियाँ होती थीं। इस्लाम ने अधिक से अधिक चार परियाँ की सीमा निर्धारित कर दी। इस्लाम किसी व्यक्ति को दो, तीन अथवा चार औरतों से इस शर्त पर विवाह करने की इजाजत देता है, जब वह उनमें सम्बन्धित था एवं संभव हो।
कुरआन के इसी अध्याय अर्थात सूरा निसा आयत 129 में कहा गया है:

“तुम स्त्रियों (पत्नियों) के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे।”
(कुरआन, 4:129)

कुरआन से मालूम हुआ कि बहू-विवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि एक मुसलमान पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियाँ रखना अनिवार्य है।

आमतौर से इस्लाम ने किसी काम को करने अथवा नहीं करने की दृष्टि से पाँच भागों में बोटा है-

(i) ‘फर्ज’ अर्थात अनिवार्य।
(ii) ‘मुस्तहब’ अर्थात पसंदीदा।
(iii) ‘मुवाह’ अर्थात जिसकी अनुमति हो।
(iv) ‘मकरह’ अर्थात घृणित नापसंदीदा।
(v) ‘हराम’ अर्थात निषेध।

बहू-विवाह मुबाह के अन्तःर्गत आता है जिसकी इजाजत और अनुमति है, आदेश नहीं है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि एक मुसलमान जिसकी दो, तीन अथवा चार पत्नियाँ हों, वह उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो।

4. औरतों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है

प्राकृतिक रूप से औरत एवं पुरुष लगभग एक ही अनुपात में जन्म लेते हैं। बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शिशुओं के इलाज के दौरान लड़कों की मृत्यु ज़्यादा होती है। युद्ध के दौरान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं। दुर्घटनाओं एवं रोगों में भी यही तथ्य प्रकट होता है। स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में विवाहों की संख्या विधुओं से अधिक है।

5. भारत में पुरुषों की आबादी औरतों से अधिक है जिसका कारण है मादा गर्भपात और भ्रूण हत्या

भारत उन देशों में से एक है जहाँ औरतों की आबादी पुरुषों से कम है। इसका असल कारण यह है कि भारत में कन्या भ्रूण-हत्या की अधिकता है और भारत में प्रतिवर्ष दस लाख मादा गर्भपात कराए जाते हैं। यदि इस घृणित कार्य को रोक दिया जाए तो भारत में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होगी।
6. पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है
अमेरिका में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। केवल न्यूयॉर्क में ही उनकी संख्या पुरुषों से दस लाख बढ़ी हुई है और जहाँ पुरुषों की एक तिहाई संख्या सोडोमीज (पुरुषमृदुला) है और पूरे अमेरिका राज्य में उनकी कुल संख्या दो करोड़ पचास लाख है। इससे प्रकट होता है कि ये लोग ऑरतों से विवाह के इच्छुक नहीं हैं।
ग्रेट ब्रिटेन में स्त्रियों की आबादी पुरुषों से चालीस लाख ज्यादा है। जर्मनी में पचास लाख और रूस में नब्बे लाख से आगे है। केवल खुदा ही जानता है कि पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है।

7. प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने की सीमा व्यावहारिक नहीं है
यदि हर व्यक्ति के लिए एक औरत से विवाह करता है तब भी अमेरिकी राज्य में तीन करोड़ और अधिक व्यवहारिक रहता है (यह मानते हुए कि इस देश में सोडोमीज की संख्या तीन करोड़ है)। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में चालीस लाख से अधिक और अधिक व्यवहारिक रहता है। आप को यह संख्या पचास लाख जर्मनी में और नब्बे लाख रूस में होगी, जो पति पाने से विचित्र रहेगी।
यदि मान लिया जाए कि अमेरिका की उन अवधारित में से एक हमारी बहन अर्थात् आपकी बहन हो तो इस स्थिति में सामान्यतः: उसके सामने केवल दो विकल्प होंगे। एक तो यह कि वह किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी दोस्ती से पति मौजूद है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इसकी पूरी आशंका होगी कि वह गलत रास्ते पर चली जाए।
भी शरीरी लोग पहले विकल्प को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे।
पात्रता के समान में यह रिवाज आम है कि एक व्यक्ति पत्नी तो एक रखता है और साथ-साथ उसके बहुत-सी औरतों से यौन संबंध होते हैं। जिसके कारण ऑरत एक असुरक्षित और अपमानित जीवन व्यतीत करती हैं। वही समाज किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे ऑरत समाज में सम्मान और आदर के साथ एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके।
और भी अनेक कारण हैं जिनके चलते इस्लाम सीमित बहु-विवाह की अनुमति देता है परंतु मूल कारण यह है कि इस्लाम एक ऑरत का सम्मान और उसकी इंजजत बाकी रखना चाहता है।
एक से अधिक पति रखना
प्रश्न:- यदि एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत है तो इसका क्या कारण है कि इस्लाम औरत को एक से अधिक पति रखने की अनुमति नहीं देता?
उत्तर :- कुछ लोग, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इस्लाम मद्दत को तो कई पत्नी रखने की छूट देता है जबकि यह अधिकार औरत को नहीं देता है।
सबसे पहले में यह बात पूरा यकीन के साथ बता देना चाहिए नहीं कि इस्लामी समाज न्याय और समानता पर आधारित है। ऐसाह ने स्त्री एवं पुरुष को समानरूप से बनाया है, परंतु भिन्न-भिन्न क्षमताएं और जिम्मेदारियाँ रखी हैं। स्त्री एवं पुरुष मानसिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न हैं, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ अलग-अलग हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इस्लाम में समान हैं परंतु एक जैसे (Identical) नहीं।
कुरान को सूरा निसा अध्याय 4, आयत 22 से 24 में उन स्त्रियों की सूची दी गई है जिनसे आप विवाह नहीं कर सकते हैं। और सूरा निसा अध्याय 4 आयत 24 में वर्णन है कि पहले से विवाहित स्त्रियों से विवाह करना विर्तित है।
निम्नलिखित बातें इस कारण को स्पष्ट करती हैं कि औरतों के लिए एक से अधिक पति रखना क्यों विर्तित है?
1. यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पत्नियाँ हों तो ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे के माता-पिता का आसानी से पता लगाया जा सकता है। परंतु यदि एक औरत के पास एक से अधिक पति हों तो केवल बच्चे की माँ का पता चलेगा न कि बाप का। इस्लाम माँ-बाप की पहचान को बहुत अधिक महत्व देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसे बच्चे मानसिक आधार और पागलपन के शिकार हो जाते हैं जो अपने मां-बाप विशेषकर अपने बाप को नहीं जानते। अक्सर उनका बचपन खुशी से खाली होता है।
इसी कारण वैश्यों के बच्चों का बचपन स्वस्थ नहीं होता। यदि ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए और उसकी माँ से उस बच्चे के बाप का नाम पूछा जाए तो माँ को दो या उससे अधिक नाम बताने पड़ेगे।
2. पुरुषों में प्राकृतिक तौर पर बहु-विवाह की क्षमता औरतों से अधिक होती है।
3. जीव विज्ञान के अनुसार एक से अधिक पत्नी रखने वाले पुरुष के लिए एक पति के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना आवश्यक होता है जबकि उसी स्थान पर अनेक
पति रखने वाली स्त्री के लिए एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना संभव नहीं। विशेषकर मानसिक धर्म के समय जबकि एक स्त्री तीन मानसिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन से गुजरती है।

4. एक से अधिक पति वाली औरत के एक ही समय में कई यौन साझी होंगे जिसके कारण उसके यौन संबंधी रोगों में ग्रस्त होने को अधिक आशंका होगी और यह रोग उसके पति को भी लग सकता है चाहें उसके वे सभी पति उस स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ वैवाहिक यौन संबंध से मुक्त हों। यह स्थिति कई पतियों रखने वाले पुरुष के साथ घटित नहीं होती।

उक्त कारण ऐसे हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। इनके अलावा अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं तथ्य से असीमित तत्त्वदर्शी खुदा ने स्त्रियों के लिए एक से अधिक पति रखने को वर्जित कर दिया।
औरतों के लिए पद्धति

प्रश्न:-- इस्लाम औरतों को पद्धति में रखकर उनका अपमान क्यों करता है?

उत्तर:-- इस्लाम में औरतों की जो स्थिति है, उस पर सेवाग्रस्त मीडिया का जबरदस्त हमला होता है। वे पद्धति और इस्लामी लिबास को इस्लामी क़ानून में स्त्रियों की दासता की मिसाल के रूप में पेश करते हैं। इससे पहले कि हम पद्धति के धार्मिक निर्देश के पीछे मौजूद कारणों पर विचार करें, इस्लाम से पूर्व समाज में स्त्रियों का अध्ययन करते हैं।

1. भूतकाल में स्त्रियों का अपमान किया जाता और उनका प्रयोग केवल काम-वासना के लिए किया जाता था।

इतिहास से लिए निम्न उदाहरण इस तथ्य की पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं कि आदिकाल की सभ्यता में औरतों का स्थान इस सीमा तक गिरा हुआ था कि उनको प्राथमिक मानव सम्मान तक नहीं दिया जाता था।

(क) बेबिलोनिया सभ्यता

औरतें अपमानित की जातीं और बेबिलोनिया के क़ानून में उनको हर हक़ और अधिकार से व्यक्त रखा जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी औरत की हत्या कर देता तो उसको दंड देने के बजाय उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता था।

(ख) यूनानी सभ्यता

इस सभ्यता को प्राचीन सभ्यताओं में अत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता है। इसके ‘अत्यंत श्रेष्ठ’ व्यवस्था के अनुसार औरतों को सभी अधिकारों से व्यक्त रखा जाता था और वे नीचे वस्तु के रूप में देखी जाती थी। यूनानी देवगाथा में ‘पांडोरा’ नाम की एक काल्पनिक स्त्री पूरी मानवजाति के दुःख की जड़ मानी जाती है। यूनानी लोग स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में तुच्छ मानते थे। यदापि उनकी पवित्रता अमूल्य थी और उनका सम्मान किया जाता था, परंतु बाद में यूनानी लोग अहंकार और काम-वासना में लिप से भर गए। वैश्यावृत्ति यूनानी समाज के हर वर्ग में एक आम रिवाज बन गई।

(ग) रोमन सभ्यता

जब रोमन सभ्यता अपने गौरव की चरमगामी पर थी, उस समय एक पुरुष को अपनी पत्नी का जीवन छीनने का भी अधिकार था। वैश्यावृत्ति और नग्रता रोमवासियों में आम थी।

(घ) मिस्री सभ्यता

मिस्री समाज में नहीं मानते थे।

(ड) इस्लाम से पहले का अरब

इस्लाम से पहले अरब में औरतों की नीच माना जाता और जब कभी किसी लड़की का जन्म होता तो आमतौर पर उसे जीवित दफन कर दिया जाता था।
2. इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और उनको बराबरी का दर्जा दिया और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपना स्तर बनाए रखें

इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और लगभग 1400 साल पहले ही उनके अधिकार उनको दे दिए और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपने स्तर को बनाए रखेंगी।

पुरुषों के लिए पदाँ

आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि पदें का संबंध केवल स्तरों से है।
हालांकि पवित्र कुरआन में अह्मद ने औरतों से पहले पदों के पदों का वर्णन किया है—
"ईमानवालों से कह दो कि वे अपनी नज़रों नीची रखें और अपनी पाकदामिनी की सुरक्षा करें और वे अपने बनाव-शृंगार और आभूषणों को न दिखाएँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से नज़र आता है। और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़ लें और अपने पत्तियों, बापों, अपने बेटों.... के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनाव-शृंगार प्रकट न करें।" (कुरआन, 24:30)

उस श्रेणी में एक व्यक्ति की नज़र किसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए कि वह अपनी नज़र नीचे कर ले।

स्तरों के लिए पदें

कुरआन की सूरा निसा में कहा गया है—
"और अह्मद देख ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी नज़रों नीची रखें और अपनी पाकदामिनी की सुरक्षा करें और वे अपने बनाव-शृंगार और आभूषणों को न दिखाएँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से नज़र आता है। और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़ लें और अपने पत्तियों, बापों, अपने बेटों.... के अतिरिक्त किसी से सामने अपने बनाव-शृंगार प्रकट न करें।" (कुरआन, 24:31)

3. पदें के लिए आवश्यक शरीर

पवित्र कुरआन और हदीस (पैग़म्बर के कथन) के अनुसार पदें के लिए निम्नलिखित छह बातों का ध्यान देना आवश्यक है—

(1) पहला शरीर का पदां है जिसे ढका जाना चाहिए। यह पुरुष और स्त्री के लिए भिन्न है। पुरुष के लिए नाफ़ (नाख़ि) से लेकर पुटों तक ढकना आवश्यक है और स्त्री के लिए चेहरे और हाथों की कलाई की छोटी पूरी शरीर को ढकना आवश्यक है। यद्यपि वे चाहें तो ढके हिस्से को भी छिपा सकती हैं। इस्लाम के कुछ आलम इस बात पर जोर देते हैं कि चेहरा और हाथ भी पदें का आवश्यक हिस्सा है। अन्य बातें ऐसी हैं जो स्त्री एवं पुरुष के लिए समान हैं।
(i) धारण किया गया वस्त्र ढीला हो और यह शरीर के अंगों को प्रकट न करे।
(ii) धारण किया गया वस्त्र पारदर्शी न हो कि कोई शरीर के भीतरी हिस्से को देख सके।
(iii) पहना हुआ वस्त्र भड़कीला न हो कि विपरीत लिंग को आकर्षित करे।
(iv) पहना हुआ वस्त्र विपरीत लिंग से न मिलता हो।
(v) धारण किया गया वस्त्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष गैर-मुस्लिम धर्म की चिह्नित करता हो और उस धर्म का प्रतीक हो।

4. पद्म दूसरी चीजों के साथ-साथ ईसान के व्यवहार और आचरण का भी पता देता है

पूर्ण पद्म, वस्त्र (लिबास) की छह कसौटियों के अलावा नैतिक व्यवहार और आचरण को भी अपने भीतर समाय हुए है। कोई व्यक्ति यदि केवल वस्त्र की कसौटियों को अपनाता है तो वह पद्म के सीमित अर्थ का पालन कर रहा है। वस्त्र के द्वारा पद्म के साथ-साथ आँखों और विचारों का भी पद्म करना चाहिए। किसी व्यक्ति के चाल-चलन, बातचीत एवं व्यवहार को भी पद्म के दायरे में लिया जाता है।

5. पद्म दुर्व्यवहार से रोकता है

पद्म का ओरतों को क्यों उपदेश दिया जाता है इसके कारण का पवित्र कुरआन की सूरा अल अहजाब में उल्लेख किया गया है- "ऐ नबी! अपनी पत्नियों, पुत्रियों और ईमानवाली स्त्रियों से कह दो कि वे (जब बाहर जाएँ) तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढाँक लें। यह अयत्न आसान है कि वे इसी प्रकार जानी जाएँ और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें और अब्दों तो बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है।" (कुरआन, 33:59)

पवित्र कुरआन कहता है कि ओरतों को पद्म का इसलिए उपदेश दिया गया है कि वे पाकदामिनी के रूप में देखी जाएँ और पद्म उनसे दुर्व्यवहार को भी रोकता है।

6. जुड़वाँ बहनों का उदाहरण

मान लीजिए कि समान रूप से सुन्दर दो जुड़वाँ बहनें सड़क पर चल रही हैं। एक केवल कलाई और चेहरे को छोड़कर पद्म में पूरी तरह ढकी हो और दूसरी पक्षीमि वस्त्र मिनी स्कर्ट (छोटा लंहगा) और व्लाऊज पहने हुए हैं। एक लघुगा किसी लड़की को छोड़ने के लिए किनारे खड़ा हो तो ऐसी स्थिति में वह किस लड़की से छेड़छाड़ करेगा? उस लड़की से जो पद्म में है या जो मिनी स्कर्ट पहने हुए हैं। स्वाभाविक है वह दूसरी लड़की से दुर्व्यवहार करेगा।

ऐसे वस्त्र विपरीत लिंग का अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का निमंत्रण देते हैं।
कुरआन विलकुल सही कहता है कि पद्म औरतों के साथ छुड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकता है।

7. बलात्कारियों के लिए मौत की सजा

इस्लामी कानून में बलात्कार की सजा मौत है। बहुत से लोग इसे निर्दयता कहकर इस दंड पर आश्रम प्रकट करते हैं। कुछ का तो कहना है कि इस्लाम एक जंगली धर्म है। मैंने एक सरल-सा प्रश्न गैर-मुस्लिमों से किया कि इंग्रज न करे कि कोई आपकी मां अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है और आपको न्यायाधीश बना दिया जाए और बलात्कारी को आपके सामने लाया जाए तो उस दोषी को आप कौन-सी सजा सुनाएँगे? मुझे प्रत्येक से एक ही उत्तर मिला कि मृत्यु-दंड दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि वे उसे कष्ट दे-देकर मारने की सजा सुनाएँगे। मेरा अंग्रेज प्रश्न था कि यदि कोई आपकी माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मृत्यु-दंड देना चाहते हैं परंतु यहीं घटना किसी दूसरे की माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ होता है तो आप कहते हैं कि मृत्यु-दंड देना जंगलीपन है। इस स्थिति में यह दोहरा मापदंड क्यों है?

8 पश्चिमी समाज औरतों को ऊपर उठाने का झूठा दावा करता है

औरतों की आजादी का पश्चिमी दावा एक छोटा है, जिसके सहारे वे उनके शरीर का शोषण करते हैं, उनकी आत्मा को गंडा करते हैं और उनके मान-सम्मान से उनको बच्चत रखते हैं। पश्चिमी समाज दावा करता है कि उसने औरतों को ऊपर उठाया। इसके विपरीत उन्होंने उनको रखेल और समाज की तिलितियों का स्थान दिया है, जो केवल जिसमें जो रोशियों और को-इच्छुकों के हाथों का एक खिलौना हैं, जो कला और संस्कृति के रंग-बिरंगे पद्ध के पीछे छिपे हुए हैं।

9 अमेरिका में बलात्कार की दर सबसे अधिक है

अमेरिका की दुनिया का सबसे ऊँचा देश समझा जाता है। 1990 ई. की FBI रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका में उस साल 1,02555 बलात्कार की घटनाएँ दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह बताया गई है कि इस तरह की कुल घटनाओं में से केवल 16 प्रतिशत ही प्रकाश में आ सकी हैं। इस प्रकाश 1990 ई. में बलात्कार की घटना का सही अंदाजा लगाने के लिए उपरोक्त संख्या को 6.25 से गुना करके जो योग सामने आता है वह 6,40,968 है। अगर इस पूरी संख्या को साल के 365 दिनों में बॉटा जाए तो प्रतिदिन का लघुआंग से 1756 संख्या सामने आती है।

एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रतिदिन 1900 बलात्कार की घटनाएँ पेश आती हैं। Nationl Crime Victimization Survey Bureau of Justice Statistics (U.S. of Justice) के अनुसार केवल 1996 में 3,07000
घटनाएँ दर्ज हुईं। लेकिन सभी घटनाओं की केवल 31 प्रतिशत घटनाएं ही दर्ज हुईं। इस प्रकार, 3,07,000 × 3,226 = 9,90,322 बलात्कार की घटनाएं सन् 1996 ई. में दर्ज हुईं। प्रतिदिन के वित्तज्ञ से औसत 2713 बलात्कार की घटनाएं 1996 में अमेरिका में हुईं। जरा विचार करें कि अमेरिका में हर 32 सेकेंड में एक बलात्कार होता है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी बलात्कारी बड़े ही निदर्श हैं। FBI को 1990 ई. की रिपोर्ट आगे बढ़ती है कि बलात्कार की घटनाओं में केवल 10 प्रतिशत बलात्कारी ही गिरफ्तार किए जा सके हैं। जो कुल संख्या का 1.6 प्रतिशत है। बलात्कारियों में से 50 प्रतिशत लोगों को मुकदमा से पहले रिहा कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 0.8 प्रतिशत बलात्कारियों के विरुद्ध ही मुकदमा चलाया जा सका। दूसरे शब्दों में अगर एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार की घटनाओं में लिया हो तो केवल एक बार ही उसे सजा दी जाने की संभावना है। बहुत से लोग इसे एक अच्छा जुआ समझते। रिपोर्ट से यह भी अंदाजा होता है कि सजा दिए जाने वालों में से केवल 50 प्रतिशत लोगों को एक साल से कम की सजा दी गई है। हालाँकि अमेरिकी कानून के अनुसार सात साल की सजा होनी चाहिए। उन लोगों के संबंध में जो पहली बार बलात्कार के दोषी पाए गए हैं, जज नरम पड़ जाते हैं। जरा विचार करें कि एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार करता है लेकिन उसके विरुद्ध मुकदमा किये जाने का अवसर केवल एक बार ही आता है और फिर 50 प्रतिशत लोगों को जज की नर्मी का लाभ मिल जाता है और एक साल से भी कम मुद्दत की सजा किसी ऐसे बलात्कारी को मिल पाती है जिस पर यह अपराध सिद्ध हो चुका है।

इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका में पत्र का पालन किया जाता जब कभी कोई व्यक्ति एक स्त्री पर नज़र डालता और कोई गंदा विचार उसके मस्तिष्क में उभरता तो वह अपनी नज़र नीचे कर लेता। प्रत्येक स्त्री पद्धति यानी पूरे शरीर को ढक लेती सिवाय कलाई और चेहरे के। इसके बाद यदि कोई उसके साथ बलात्कार करता तो उसे मृत्यु-दंड दिया जाता। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका में बलात्कार की दर बढ़ती या रिश्ते रहती या कम होती?

10. इस्लामी कानून निश्चित रूप से बलात्कार की दर घटाएगा

स्वाभाविक रूप से ज्यों ही इस्लामी कानून लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। यदि इस्लामी कानून संसार के किसी भी हिस्से में लागू किया जाए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, समाज में शान्ति आएगी। पद्म औरतों का अपमान नहीं करता बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है और उनकी पवित्रता और मान की रक्षा करता है।
क्या इस्लाम तलवार से फेला?

प्रश्न :- इस्लाम को शान्ति का धर्म कैसे कहा जा सकता है जबकि यह तलवार से फेला है?

उत्तर :- कुछ गैर-मुस्लिमों की यह आम शिकायत है कि संसार भर में इस्लाम के मानने वालों की संख्या लाखों में नहीं होती यदि इस धर्म को बलपूर्वक नहीं फेलाया गया होता। निम्न बिन्दु इस तथ्य को स्पष्ट कर देंगे कि इस्लाम की सत्यता, दर्शन और तर्क ही है जिसके कारण वह पूरे विश्व में तीव्र गति से फेला न कि तलवार से।

1. इस्लाम का अर्थ शान्ति है

इस्लाम मूल शब्द ‘सलाम’ से निकला है जिसका अर्थ है ‘शान्ति’. इसका दूसरा अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने पालनहार खुदा के हवाले कर देना। अतः: इस्लाम शान्ति का धर्म है जो सर्वोच्च प्राप्त अभ्यास के सामने अपनी इच्छाओं को हवाले करने से प्राप्त होती है।

2. शान्ति को स्थापित करने के लिए कभी-कभी बल-प्रयोग किया जाता है

इस संसार का हर इस्लाम शान्ति एवं सद्भाव के पक्ष में नहीं है। बहुत से इस्लाम अपने तुच्च स्वर्णों के लिए शान्ति को भंग करने का प्रयास करते हैं। शान्ति बनाए रखने के लिए कभी-कभी बल-प्रयोग किया जाता है। इसी कारण हम पुलिस रखते हैं जो अपराधियों और असामाजिक तत्त्वों के विरूद्ध बल का प्रयोग करती है ताकि समाज में शान्ति स्थापित हो सके। इस्लाम शान्ति को बढ़ावा देता हैं और साथ ही जहाँ कहीं भी अत्याचार और जुल्म होते हैं, वह अपने अनुयायियों को इसके विरूद्ध संग्रस्त हेतु प्रोत्साहित करता है। अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष में कभी-कभी बल-प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस्लाम में बल का प्रयोग केवल शान्ति और न्याय की स्थापना के लिए ही किया जा सकता है।

3. इतिहासकार डीलेसी ओ-लेरी (Delacy o’Leary) के विचार

इस्लाम तलवार से फेला है, इस गलत विचार का सबसे अच्छा उत्तर प्रस्तिद्र इतिहासकार डीलेसी ओ-लेरी के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक ‘इस्लाम ऐट दी क्रोस रोड’ (Islam at the cross road) में किया है --

“यह कहना कि कुछ जुनूनी मुसलमानों ने विश्व में फेलकर तलवार द्वारा पराजित क्रॉम को मुसलमान बनाया, इतिहास इसे स्पष्ट कर देता है कि यह कोई बकवास है और उन काल्पनिक कथाओं में से है जिसे इतिहासकारों ने कभी दोहराया है।” (पृ-8)

4. मुसलमानों ने स्पेन पर 800 वर्ष शासन किया

मुसलमानों ने स्पेन पर लगभग 800 वर्ष शासन किया और वहाँ उन्होंने कभी किसी को
इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। बाद में ईसाई धार्मिक योद्धा स्पेन आए और उन्होंने मुसलमानों का सफाया कर दिया और वहाँ एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहा जो खुलेतीर पर अज्ञान दे सके।

5. एक करोड़ चालीस लाख अरब आबादी नस्ली ईसाई हैं

मुसलमान 1400 वर्ष तक अरब के शासक रहे। कुछ वर्षों तक वहाँ ब्रिटिश राज्य रहा और कुछ वर्षों तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। कुल मिलाकर मुसलमानों ने वहाँ 1400 वर्ष तक शासन किया। आज भी वहाँ एक करोड़ चालीस लाख अरब नस्ली ईसाई हैं। यदि मुसलमानों ने तलवार का प्रयोग किया होता तो वहाँ एक भी अरब मूल का ईसाई बाकी नहीं रहता।

6. भारत में 80 प्रतिशत से अधिक गैर-मुस्लिम

मुसलमानों ने भारत पर लगभग 1000 वर्ष शासन किया। यदि वे चाहते तो भारत के एक-एक गैर-मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर देते क्योंकि इसके लिए उनके पास शक्ति थी। आज 80 प्रतिशत गैर-मुस्लिम भारत में हैं जो इस तथ्य के गवाह हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला।

7. इंडोनेशिया और मलेशिया

इंडोनेशिया (Indonesia) एक ऐसा देश है जहाँ संसार में सबसे अधिक मुसलमान है। मलेशिया (Malaysia) में मुसलमान बहु-संख्यक हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर कौन-सी मुसलमान सेना इंडोनेशिया और मलेशिया गई?

8. अफ्रीका का पूर्वीतट

इसी प्रकार इस्लाम तीव्र गति से अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैला। फिर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि इस्लाम तलवार से फैला तो कौन-सी मुस्लिम सेना अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर गई थी?

9. थॉमस कार्लायल

प्रसिद्ध इतिहासकार ‘थॉमस कार्लायल’ (Thomas Carlyle) ने अपनी पुस्तक Heroes and Hero Worship (हीरोज एंड हीरो वर्शिप) में इस्लाम के प्रसार से संबंधित गलत विचार की तरफ सकेत करते हुए कहा है—

“तलवार!! और ऐसी अपनी तलवार तुम कहाँ पाओगे?
वास्तविकता यह है कि हर नया विचार अपनी प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ एक ही अत्यसंख्य में होता है अर्थात केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में। जहाँ यह अब तक है।
पूरी संसार का मात्र एक व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है अर्थात केवल एक मनुष्य सारे मनुष्यों के मुकाबले
में होता है। वह व्यक्ति तलवार लेता है और उसके साथ प्रचार करने का प्रयास करता है, यह उसके लिए कुछ भी प्रभावशाली साबित नहीं होगा। सारे लोगों के चिरुद्ध आप अपनी तलवार उठाकर देख लीजिए। कोई वस्तु स्वयं फेलती है जितनी वह फेलने की क्षमता रखती है।”

10. धर्म में कोई जोर-जबरदस्ती नहीं
किस तलवार से इस्लाम फैला? यदि वह तलवार मुसलमान के पास होती तब भी वे इसका प्रयोग इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं कर सकते थे। क्योंकि पत्रिका कुरआन में कहा गया है—

“धर्म में कोई जोर-जबरदस्ती न करो, सत्य, असत्य से साफ भिन्न दिखाई देता है।” (कुरआन, 2:256)

11. बुद्धि की तलवार
यह बुद्धि और मस्तिष्क की तलवार है। यह वह तलवार है जो हम्दयों और मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करती है। पत्रिका कुरआन में है—

“लोगों को अज्ञात के मार्ग की तरफ बुलाओं, परंतु बुद्धिमता और सदुपदेश के साथ, और उनसे वाद-विवाद करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा और निर्मल हो।” (कुरआन, 16:125)

12. 1934 से 1984 ई. तक में संसार के धर्मों में बुद्धि
रीडर्स डाइजेस्ट के एक लेख अलमेनेक, वार्षिक पुस्तक 1986 ई. में संसार के सभी बड़े धर्मों में तकरीबन पत्ता वर्षों 1934 से 1984 ई. की अवधि में हुई प्रतिष्ठापन बुद्धि का आंकलन किया गया था। यह लेख ‘प्लेन ट्र्यू’ (Plain Truth) नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था जिसमें इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था और इसकी बुद्धि 235 प्रतिष्ठात थी। ईसाइयत में मात्र 47 प्रतिष्ठात की बुद्धि हुई थी। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस सदी में कौन-सा युद्ध हुआ जिसने लोगों का धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में दाखिल किया।

13. अमेरिका और यूरोप में इस्लाम सबसे अधिक फैल रहा है
आज अमेरिका में तीक्र गति से फैलने वाला धर्म इस्लाम है और यूरोप में भी यहीं धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। कौन-सी तलवार पक्षिम को इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रही है?
मुसलमान रुढ़िवादी और आतंकवादी होते हैं

प्रश्न :- अधिकांत मुसलमान रुढ़िवादी और आतंकवादी क्यों होते हैं?

उत्तर :- धर्म या विश्व राजनीति से संबंधित चर्चाओं में यह प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों पर उठाया जाता है। मीडिया के किसी भी साधनों में मुसलमानों को बेचारे नहीं जाता और इस्लाम तथा मुसलमानों के संबंध में बड़े पैमाने पर गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, उन्हें काटरवादी के रूप में दर्शाया जाता है। वास्तव में ऐसी गलत जानकारियाँ और झूठे प्रचार अक्सर मुसलमानों के बिरूद्ध हिंसा और पक्षपात का कारण बनते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अमेरिकी मीडिया द्वारा मुसलमानों के बिरूद्ध चलाई जाने वाली मुहिम है जो ओकलाहोमा बम धमाके के बाद चलाई गई। प्रेस ने तुरंत यह ऐलान कर दिया कि इस धमाके के पीछे ‘मध्य पूर्वी पड़यंत्र’ काम कर रहा है। बाद में अमेरिकी सेना का एक जवाब इस कांड में दोषी पाया गया।

अब हम मुसलमानों के रुढ़िवादी और आतंकवादी होने के आरोपों का जायज़ा लेते हैं।

1. रुढ़िवादी की परिभाषा
रुढ़िवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी आर्थिक अथवा सिद्धांत को वीडियो करते हुए उसकी मौलिक शिक्षाओं का पालन कर रहा हो। एक व्यक्ति जो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वह चिकित्सा संबंधी मौलिक नियमों को जाने, उनका अनुसरण करे और अभ्यास करे। दूसरे शब्दों में उसे चिकित्सा के क्षेत्र में रुढ़िवादी होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अच्छा गणितशास्त्री बनने के लिए, गणित के मूल नियमों को जानना, उनका अनुसरण करना और उनका अभ्यास करना जरूरी है। उसे गणित के क्षेत्र में रुढ़िवादी होना चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को अच्छा वैज्ञानिक बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वह विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को जाने, उनका पालन करे और उनके अनुसार अभ्यास करे अर्थात उसे विज्ञान के क्षेत्र में रुढ़िवादी होना चाहिए।

2. सभी रुढ़िवादी एक प्रकार के नहीं होते
कोई एक ही ब्रश से सभी रुढ़िवादी को नहीं रंग सकता। सभी रुढ़िवादियों को अच्छा या बुरे के एक ही दर्जे में नहीं रखा जा सकता है। किसी भी रुढ़िवादी का दर्जा उसके कार्य क्षेत्र और उसकी गतिविधि पर निर्भर करता है। निजी रूप से रुढ़िवादी का दर्जा वह मान सकता है जो वह रुढ़िवादी है। एक रुढ़िवादी दाकू अथवा चोर समाज के लिए हानिकारक है, अत: वह नापसंदीदा है। दूसरी तरफ एक रुढ़िवादी डाकू समाज को लाभ पहुँचाना है अत: वह पसंदीदा है और बहुत आदर पाता है।

3. मुसलमान का रुढ़िवादी होना गर्व की बात है
में एक रुढ़िवादी मुसलमान हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों
और नियमों से परिचित हैं और उसके पालन का प्रयास करता हैं। एक सच्चा मुसलमान रुढ़िवादी होने से नहीं चयनित। मुझे एक रुढ़िवादी मुसलमान होने पर गर्व है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम के मौलिक सिद्धांत और नियम सारी मानवजाति और सारे संसार के लिए लाभदायक हैं। इस्लाम का कोई एक मौलिक सिद्धांत भी ऐसा नहीं जो मानवजाति के लिए हानिकारक हो। बहुत से लोग इस्लाम के संबंध में गलत विचार रखते हैं और इस्लाम की अनेक शिक्षाओं को अनुमति मानते हैं। इसका कारण इस्लाम की अपराजत और गलत जानकारी है। यदि कोई खुले मस्तिष्क से इस्लाम की शिक्षाओं का तंत्रीदी (आलोचनात्मक) जानकारी ले तो यह इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस्लाम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर केवल लाभ ही लाभ से भरा हुआ है।

4 ‘रुढ़िवाद’ शब्द का अर्थ शब्दकोष में

वेबस्टर्स (Webster’s) शब्दकोष के अनुसार ‘रुढ़िवादी’ एक आन्दोलन था जो बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकी प्रोटेस्टेंटस के द्वारा चलाया गया। यह आन्दोलन आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उठा था जो केवल आस्था और नैतिकता ही में नहीं बल्कि शब्दश: ऐतिहासिक रिकार्ड (तथ्य) के तौर पर भी बाइबल को सत्यता पर जोर देता था। वह इस बात पर विचार करने पर जोर देता था कि बाइबल ईश्वर के शब्द हैं। इस प्रकार रुढ़िवादी शब्द ईसाइयों के उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जिनका विचार था कि बाइबल बगैर किसी संदेह एवं दोष के ईश्वर के शब्द हैं।

ओक्सफोर्ड Oxford शब्दकोष के अनुसार रुढ़िवाद का अर्थ है, ‘‘किसी भी धर्म, विशेषकर इस्लाम के मूल सिद्धांतों का पालन करना।’’

आज जब किसी समय कोई व्यक्ति रुढ़िवादी शब्द का प्रयोग करता है तो उसके मस्तिष्क में तुरंत एक आतंकवादी मुसलमान का विचार आता है।

5. एक व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए दो भिन्न उपाधियाँ

भारत की ब्रिटिश शासन से आजाद के पूर्व कुछ क्रांतिकारियों को जो कि अहिंसा के पक्ष में नहीं थे ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी कहा। उन्हीं व्यक्तियों को भारतवासियों ने गवाही दी और उन्हें ‘‘देशभक्त’’ कहा। इस प्रकार एक व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए दो भिन्न उपाधियों दी गई। एक उसको देशभक्त कह रहा है तो दूसरा आतंकवादी। उसे लोग जिन्हें भारत पर ब्रिटिश शासन को उचित माना, उन्होंने उन लोगों को आतंकवादी कहा, जबकि दूसरे वे लोग जो समझते थे कि ब्रिटिश को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने उनको देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया। आत: यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के प्रति फ्रेस्ला करने से पूर्व उसकी पूरी बात सुनी जाए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाए, स्थिति का जायजा लिया जाए, कारण उदेश्य पर विचार किया जाए और तब उसके अनुसार उस व्यक्ति के प्रति उचित फ्रेस्ला किया जाए।
मांसाहार

प्रश्न :- जानवरों की हत्या एक कूर निर्दयतापूर्ण कार्य है तो फिर मुसलमान मांस क्यों खाते हैं?

उत्तर :- शाकाहार ने अब संसार भर में एक आन्दोलन का रूप ले लिया है। बहुत से लोग तो इसको जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं। निम्नलिखित लोगों की एक बड़ी संख्या मांसाहारी हैं और अन्य लोग मांस खाने को जानवरों के अधिकारों को हनन मानते हैं।

इस्लाम प्रत्येक जीव एवं प्राणी के प्रति संगीत और दया का निर्देश देता है। साथ ही इस्लाम इस बात पर भी जोर देता है कि अल्लाह ने पृथ्वी, पेड़-पीधे और छोटे-बड़े हर प्रकार के जीव-जन्तुओं को ईसान के लाभ के लिए पैदा किया है। अब यह ईसान पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की दी हुई नेत्रिम और अमानत के रूप में मौजूद प्रत्येक स्रोत को किस प्रकार उचित रूप से इस्तेमाल करता है।

आइए इस तथ्य के अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं-

1. एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी हो सकता है
एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। मांसाहारी होना एक मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है।

2. पवित्र कुरआन मुसलमानों को मांसाहार की अनुमति देता है
पवित्र कुरआन मुसलमानों को मांसाहार की इजाफत देता है। निम्न कुरआनी आयतों इस बात की सुबूत हैं-

“इस ईमान वालो! प्रत्येक कर्म का निर्वाह करो। तुम्हारे लिए चोपाए जानवर जायज हैं केवल उनको छोड़कर जिनका उलझेख किया गया है।” (कुरआन, 5:1)

“रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया, जिसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान (वस्त्र) भी है और हैं अन्य कितने ही लाभ। उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो।” (कुरआन, 16:5)

“और मवेशियों में भी तुम्हारे लिए ज्ञानविश्लेषक उदाहरण हैं। उनके शरीर के भीतर हम तुम्हारे पीने के लिए दूध पैदा करते हैं, और इसके अतिरिक्त उनमें तुम्हारे लिए अनेक लाभ हैं, और जिनका मांस तुम प्रयोग करते हों।”

(कुरआन, 23:21)
3. मांस पौष्टिक आहार है और प्रोटीन से भरपूर है

मांस उतम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें आहार आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर नहीं बनते और जिसकी पूर्ति आहार द्वारा की जानी जरूरी है। मांस में लोह, विटामिन बी-1 और नियासिन भी पाए जाते हैं।

4. इसान के दाँतों में दो प्रकार की क्षमता है

यदि आप घास-फूस खाने वाले जानवरों जैसे भेड़, बकरी अथवा गाय के दाँत देखें तो आप उन सभी में समानता पाएँगे। इन सभी जानवरों के चपेट दाँत होते हैं अर्थात जो घास-फूस खाने के लिए उचित हैं। यदि आप मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, चीता अथवा बाघ इत्यादि के दाँत देखें तो आप उनमें नुकीले दाँत भी पाएँगे जो कि मांस को खाने में मदद करते हैं। यदि मनुष्य के दाँतों का अध्ययन किया जाए तो आप पाएँगे उनके दाँत नुकीले और चपेट दोनों प्रकार के हैं। इस प्रकार वे बनस्पति और मांस खाने में सक्षम होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को केवल सब्जियाँ ही खिलाना चाहता तो उसे नुकीले दाँत क्यों देता? यह इस बात का प्रमाण है कि उसने हमें मांस एवं सब्जियाँ दोनों को खाने की इजाजत दी है।

5. इसान मांस अथवा सब्जियाँ दोनों पचा सकता है

शाकाहारी जानवरों के पारंपरिक केवल सब्जियाँ ही पचा सकते हैं और मांसाहारी जानवरों का पारंपरिक केवल मांस पचाने में सक्षम है, परंतु इसान का पारंपरिक सब्जियाँ और मांस दोनों पचा सकता है। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें केवल सब्जियाँ ही खिलाना चाहता है तो हमें ऐसा पारंपरिक क्यों देता जो मांस एवं सब्जी दोनों को पचा सके।

6. हिन्दू धार्मिक ग्रंथ मांसाहार की अनुमति देते हैं

बहुत से हिन्दू शुद्ध शाकाहारी हैं। उनका विचार है कि मांस-सेवन धर्म विरूद्ध है। परंतु सर्व यह है कि हिन्दू धर्म ग्रंथ इसान को मांस खाने की इजाजत देते हैं। ग्रंथों में उन साधुओं और संतों का वर्णन है जो मांस खाते थे।

(क) हिन्दू काव्यार्थ पुस्तक मनुस्मृति के अध्याय 5 सूत्र 30 में वर्णन है कि –
“वे जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं, यद्यपि वे ऐसा प्रतिदिन करते हैं क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कुछ को खाने और कुछ को खाने के लिए पैदा किया है।”

(ख) मनुस्मृति में आगे अध्याय 5 सूत्र 31 में आता है –
“मांस खाना विनियम के लिए उचित है, इसे देवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहा जाता है।”
(ग) आगे अध्याय 5 सूत्र 39 और 40 में कहा गया है कि -
"
स्वयं इंक्षर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए पैदा किया, अतः बलि के उद्देश्य से की गई हत्या, हत्या नहीं।"

महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 में धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के मध्य वातावरण का उल्लेख किया गया है कि कौनसे भोजन पूर्वजों को शांति पहुँचाने हेतु उनके श्राद्ध के समय दान करने चाहिए।

प्रसंग इस प्रकार है-

"युधिष्ठिर ने कहा, ‘‘हे महाबली ! मुझे बताइए कि कौन-सी वस्तु जिसको यदि मृत पूर्वजों को भेंट की जाए तो उनकी शांति मिलेगी ? कौन-सा हव्व सदैव रहेगा ? और वह क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो अनंत हो जाए ?’’

भीष्म ने कहा, ‘‘बात सुनो, ऐ युधिष्ठिर कि वे कौन-सी हवि हैं जो श्राद्ध रीति के मध्य भेंट करना उचित हैं। और वे कौन से फल हैं जो प्रत्येक से जुड़े हैं? और श्राद्ध के समय शिशुक बीज, चावल, बाजरा, माश, पानी, जड़ और फल भेंट किया जाए तो पूर्वजों को एक माह तक शांति रहती है। यदि मछली भेंट की जाएँ तो यह उन्हें दो माह तक राहत देती है। भेड़ का मांस तीन माह तक उन्हें शांति देता है। ुरगोश का मांस चार माह तक, बकरी का मांस पच्ची माह और सूअर का मांस छह माह तक, खपक्ष्यों का मांस सात माह तक, ‘प्रिया’ नाम के लिए मांस से वे आठ माह तक और ‘रूपु’ हिरन के मांस से वे नी माह तक शांति में रहते हैं। Gavaya’ के मांस से दस माह तक, धैर्य के मांस से ग्यारह माह और गौ मांस से पूरे एक वर्ष तक। पायस यदि भी में मिलाकर दान किया जाए तो यह पूर्वजों के लिए गौ मांस की तरह होता है। बधरीनासा (एक बड़ा बैल) के मांस से बारह वर्ष तक और गौड़ का मांस यदि चंद्रमा के अनुसार उनकी मृत्यु वर्ष पर भेंट किया जाए तो यह उन्हें सदैव सुख-शांति में रखता है। क्लास्का नाम की जड़ी-बूटी, कंचना पुष्प की पत्तियाँ और लाल बकरी का मांस भेंट किया जाए तो वह भी अनंत सुखदायी होता है।

अतः यह स्वाभाविक है कि यदि तुम अपने पूर्वजों को अनंत सुख-शांति देना चाहते हो तो उन्हें लाल बकरी का मांस भेंट करना चाहिए।’’

7. हिंदू मत अन्य धर्मों से प्रभावित

यद्यपि हिंदू गुर्ण अपने मानने वालों को मांसाहार की अनुमति देते हैं, फिर भी बहुत से हिन्दुओं ने शाकाहारी व्यवस्था अपना ली, क्योंकि वे जैन जैसे धर्मों से प्रभावित हो गए थे।

8. पेड़-पौधों में भी जीवन

कुछ धर्मों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया क्योंकि वे पूर्ण रूप से जीव-हत्या के
चिरुद्ध हैं। अतः में लोगों का बिचार था कि पौधों में जीवन नहीं होता। आज यह चिरुद्धता सत्य है कि पौधों में भी जीवन होता है। अतः जीव-हत्या के संबंध में उनका तर्क शुद्ध शाकाहारी होकर भी पूरा नहीं होता।

9. पौधों को भी पीढ़ा होती है

वे आगे तर्क देते हैं कि पौधे पीढ़ा महसूस नहीं करते, अतः पौधों को मारना जानवरों को मारने की अपेक्षा कम अपराध है। आज विज्ञान कहता है कि पौधे भी पीढ़ा अनुभव करते हैं परंतु उनकी चीख मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में आवाज सुनने की अक्षमता जो शृंग सीमा में नहीं आते अर्थात 20 हर्टज से 20,000 हर्टज तक इस सीमा के नीचे या ऊपर पढ़ने वाली किसी भी वस्तु की आवाज मनुष्य नहीं सुन सकता है। एक कुत्ते में 40,000 हर्टज तक सुनने की शक्ति है। इसी प्रकार खामोश कुत्ते की ध्वनि की लहर संख्या 20,000 से अधिक और 40,000 हर्टज से कम होती है। इन ध्वनियों को केवल कुत्ते ही सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं। एक कुत्ता अपने मालिक की सीटी पहचानता है और उसके पास पहुँच जा सकता है। अमेरिका के एक किसान ने एक मशीन का आविष्कार किया जो पौधे की चीख को ऊँची आवाज में परिवर्तित करती है जिसे मनुष्य सुन सकता है। जब कभी पौधे पानी के लिए चिकनाते तो उस किसान को इसका तुरंत ज्ञान हो जाता।

वर्तमान के अध्ययन इस तथ्य को उजागर करते हैं कि पौधे भी पीढ़ा, दुख और सुख का अनुभव करते हैं और वे चिकनाते भी हैं।

10. दो इंद्रियों से विचित्र प्राणी की हत्या कम अपराध नहीं

एक बार एक शाकाहारी ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि पौधों में दो अथवा तीन इंद्रियों होती हैं जबकि जानवरों में पांच होती हैं। अतः पौधों की हत्या जानवरों की हत्या के मुकाबले में छोटी अपराध है। कल्पना करें कि अगर किसी का भाई देवाइशी गुंडा और बहरा है और दूसरे मनुष्य के मुकाबले उसके दो इंद्रियों कम हैं। वह जवाब देता है और कोई उसकी हत्या कर देता है तो क्या आप न्यायाधीश से कहेंगे कि वह दोषी को कम दंड दे क्योंकि उसके भाई को दो इंद्रियों कम हैं। वास्तव में उसको यह कहना चाहिए कि उस अपराधी ने एक निर्दोष की हत्या की है और न्यायाधीश को उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

पवित्र कुरान में कहा गया है—
“ऐ लोगो ! खाओ जो पृथ्वी पर है परंतु पवित्र और जायज़।” (कुरान, 2:168)
जानवरों को जबह करने का
इस्लामी तरीक़ा कृतार्पण

प्रश्न :- मुस्लिम जानवरों को निर्देशित से धीरे-धीरे उनको कष्ट देकर क्यों जबह करते हैं?

उत्तर :- जानवरों को जबह करने के इस्लामी तरीक़े पर जिसे ‘जबीहा’ कहा जाता है, बहुत से लोग आपत्ति करते हैं। इस संबंध में हम निम्न बिनुओं पर विचार करते हैं जिनसे यह तथ्य सिद्ध होता है कि जबह करने का इस्लामी तरीक़ा मानवीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ है।

1. जानवर को जबह करने का इस्लामी तरीक़ा

जानवर को जबह करने के लिए अरबी शब्द ‘जकेतुम’ प्रयुक्त किया जाता है। जिस क्रिया से यह शब्द बना है उसका अर्थ है पवित्र करना और शुद्ध करना। इस्लामी तरीक़े से जानवर को जबह करने हेतु निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक हैं।

जानवर को तेज झुरी से जबह करना चाहिए ताकि उसे कम से कम पीड़ा हो। जानवर को गले की तरफ़ से जबह करना चाहिए। इस प्रकार कि हलक़ और गर्दन की खून वाली नसे तट जाएँ, मगर गर्दन के ऊपर का हिस्सा, जिसका संबंध रौठ की हड़दी से है, न कटे। सिर को अलग करने से पहले खून को पूर्णरूप से बहने देना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं। अगर रौठ की हड़दी वाले हिस्से को जानवर के मरने से पहले काट दिया जाएगा तो इस स्थिति में खून निकलने से पहले ही वह मर जाएगा और खून उसके मांस में जम जाएगा जिसके कारण मांस हानिकारक हो जाएगा।

2. खून कीटाणुओं और जीवाणुओं का स्रोत है

रक्त में कीटाणु, जीवाणु, विशाल इत्यादि पाए जाते हैं, इसलिए जबह करने का इस्लामी तरीक़ा अधिक स्वच्छ होता है क्योंकि अधिकांश खून जिसमें कीटाणु, जीवाणु इत्यादि पाए जाते हैं, अनके रोगों का कारण बनता है, इस प्रक्रिया से वह जाता है।

3. मांस लंबे समय तक ताजा रहता है

दूसरे ढंग की अपेक्षा इस्लामी ढंग से जबह किया हुआ मांस लंबे समय तक ताजा रहता है, क्योंकि मांस में खून कम मात्रा में होता है।

4. जानवर पीड़ा महसूस नहीं करते

गर्दन की नली को तेजी से काटने से मस्तिष्क नाड़ी की तरफ रक्त का बहाव बंद हो जाता है। यह नाड़ी पीड़ा का स्रोत है। अतः जानवर पीड़ा अनुभव नहीं करता। मरते समय जानवर संघर्ष करता है, कराहता है, लात मारता है, ऐसा पीड़ा के कारण नहीं होता बल्कि शरीर से रक्त बह जाने के कारण पुद्दों के सुकड़ने और फैलने से होता है।
मांसाहारी भोजन मुसलमानों को हिंसक बनाता है

प्रश्न :- विज्ञान से पता चलता है कि इस्लाम जो कुछ खाता है, उसका प्रभाव इस्लाम के व्यवहार पर पड़ता है। फिर क्यों इस्लाम मुसलमानों को मांसाहारी भोजन खाने की इजाजत देता है? जानवरों का मांस खाने से मनुष्य हिंसक और निर्दयी बनता है।

उत्तर :-
1. केवल शाकाहारी जानवरों का मांस खाने की इजाजत है
   यह सही है कि आदमी जो कुछ खाता है, उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से इस्लाम मांसाहारी जानवरों जैसे - शेर, बाघ, चीता आदि हिंसक पशुओं के मांस खाने को हराम (निषेध) ठहराता है। ऐसे जानवरों के मांस का सेवन व्यक्ति को हिंसक और निर्दयी बना सकता है।
   इस्लाम केवल शाकाहारी जानवर जैसे - बैंस, बकरी, भेड़ आदि शातिर्प्रिय पशु और सीधे-साधे जानवरों के गोश्त खाने की अनुमति देता है।

2. कुरआन कहता है कि पैगम्बर बुरी चीजों से रोकते हैं
   पवित्र कुरआन में है-
   “.......... पैगम्बर उन्हें भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता है।” (कुरआन, 7:157)
   अर्थात पैगम्बर लोगों के लिए उन चीजों को जायज़ ठहराता है जो अच्छी और पवित्र हैं तथा उन चीजों से रोकता है जो बुरी और अपवृत्त हैं।
   “रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ, और अल्लाह का डर रखो।”
   (कुरआन, 59:7)
   पैगम्बर के फरमान एक मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए काफी हैं की खुदा नहीं चाहता कि इस्लाम हर प्रकार का मांस खाए। उसने इसलिए सिर्फ कुछ जानवरों के मांस खाने की इजाजत दी है।
3. ख़लील बुहँमद (सल्ल.) ने मांसाहारी जानवरों को खाने से मना किया है

मांसाहारी जानवरों से संबंधित सहीए हुक्कारी और सहीए मुस्लिम में वर्णित हदीसों में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने निर्देशित जानवरों का मांस खाने से मना किया है-

(क) ख़लीले दाँतबाले जंगली जानवर अर्थात मांसाहारी जानवर। यह ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल प्रजाति के हैं, जैसे - बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता आदि।

(ख) कुछ विशेष ख़तरनेवाले जानवर, जैसे - चूहा, पंजवाले ख़रगोश आदि।

(ग) ख़लीली चौंच और पंजे से शिकार करने वाले पक्षी जैसे - गिल्ल, चील, कौआ, उल्लू इत्यादि।

(घ) कुछ रेगनेवाले जानवर जैसे - साँप, मगरमच्छ आदि।
मुसलमान काबा की पूजा करते हैं

प्रश्न :- जब इस्लाम मूर्तिपूजा के विरूद्ध है, फिर इसका क्या कारण है कि मुसलमान अपनी नमाज में काबा की ओर झुकते हैं और उसकी पूजा करते हैं?

उत्तर :- ‘काबा’ क्रिबला है अर्थात वह दिशा जिसके मुसलमान नमाज के समय अपने चेहरे का रूख करते हैं। यह बात सामने रहनी चाहिए कि यद्यपि मुसलमान अपनी नमाजों में काबा की तरफ अपना रूख करते हैं लेकिन वे काबा की पूजा नहीं करते। मुसलमान एक अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा नहीं करते और न ही किसी के सामने झुकते हैं।

कुरआन में कहा गया है-”

‘हम तुम्हारे चेहरों को आसमान की ओर उलटते-पलटते देखते हैं। तो क्या हम तुम्हारे चेहरों को एक क्रिबले की तरफ न मोड़ दें, जो तुम्हें प्रसन्न कर दे। तुम्हें चाहिए कि तुम ज़हाँ कहीं भी रहो अपने चेहरों को उस पवित्र मस्जिद की तरफ मोड़ लिया करो।’” (कुरआन, 2:144)

1. इस्लाम एकता की बनियादों को मजबूत करने में विश्वास करता है

उदाहरण के रूप में यदि मुसलमान चाहते हैं कि नमाज पड़े तो उनके लिए यह भी संभव था कि उत्तर की ओर अपना रूख करें और कुछ दक्षिण की ओर। एकमात्र वास्तविक स्वामी की इबादत में मुसलमानों को संगठित करने के लिए यह आदेश दिया कि चाहे वे जहाँ कहीं भी हों वे अपने चेहरे एक ही दिशा की ओर करें अर्थात काबा की ओर। यदि कुछ मुसलमान ‘काबा’ के पश्चिम में रहते हैं तो उन्हें पूर्व की ओर रूख करना होगा। इसी प्रकार अगर वे ‘काबा’ के पूर्व में रह रहे हों तो उन्हें पश्चिम दिशा में अपने चेहरे का रूख करना होगा।

2. ‘काबा’ विश्व मानचित्र के ठीक मध्य में स्थित है

सबसे पहले मुसलमानों ने ही दुनिया का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने यह मानचित्र इस प्रकार बनाया कि दक्षिण ऊपर की ओर था और उत्तर नीचे की ओर। काबा मध्य में था। आगे चलकर पश्चिम के मानचित्र रचयिताओं ने दुनिया का जो मानचित्र तैयार किया वह इस प्रकार था कि पहले मानचित्र के मुकाबले में इसका
ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नीचे की ओर अर्थात उत्तर की दिशा ऊपर की ओर और
dक्षिण की दिशा नीचे की ओर। इसके बावजूद खुदा का शुक्र है कि काबा दुनिया
के मानचित्र में केंद्रीय स्थान पर हो रहा।

3. ‘काबा’ का तवाफ़ (परिक्रमा) ईश्वर के एक होने का प्रतीक है

मुसलमान जब मक्का में स्थित मस्जिदे-हराम (प्रतिष्ठित मस्जिद) जाते हैं तो वे
काबा का तवाफ़ करते हैं। यह कार्य एक ईश्वर में विश्वास रखने और एक ही ईश्वर
की उपासना करने का प्रतीकतमक प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरह गोल दायरे का
एक केंद्रीय बिन्दु होता है उसी तरह ईश्वर भी एक ही है जो पूजनीय है।

4. हजरत उमर (रजि.) का बयान

काबा में लगे हुए ‘हजरे-अस्वद’ (काले पत्थर) से संबंधित दूसरे इस्लामी
शासक हजरत उमर (रजि.) से एक कथन उल्लेखित है। हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक
‘सहीह बुखारी’ भाग-दो, अध्याय-हज, पाठ-56, हदीस न. 675 के अनुसार
हजरत उमर (रजि.) ने फरमाया–

“मुझे मालूम है कि (हजरे-अस्वद) तुम एक पत्थर हो। न
tum किसी को फायदा पहुँचा सकते हो और न नुकसान और
मैंने अल्लाह के पैग़म्बर (सल्ल.) को तुम्हें छूते (और चूमते)
न देखा होता तो मैं कभी न तो तुम्हें छूता (और न ही चूमता)।’”

5. लोग काबा पर चढ़कर अज्ञान देते थे

खुदा के पैग़म्बर (हजरत मुहम्मद सल्ल.) के जमाने में तो लोग काबा पर चढ़कर
अज्ञान देते थे। यह बात इतिहास से सिद्ध है। अब जो लोग यह आरोप लगाते हैं
कि मुसलमान काबा की उपासना (इबादत) करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि बला
बताईए तो सही कि कौन मूर्तिपूजक मूर्ति पर चढ़कर खड़ा होता है।
ग़ैर-मुस्लिमों के मक्का प्रवेश पर रोक

प्रश्न :- ग़ैर-मुस्लिमों को मक्का और मदीना में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है?

उत्तर :- यह बात सही है कि इस्लामी धर्म विधान (शरीआत) के अनुसार ग़ैर-मुस्लिमों को मक्का और मदीना जाने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में आगे कुछ बातें बयान की जा सकती हैं जिनसे ज्ञात होगा कि इस प्रकार की रोक और पाबंदी के पीछे बड़ी तत्वदर्शिता छिपी है।

1. तमाम नागरिकों को फ़ौजी इलाकों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती
   मैं भारत का नागरिक हूँ फिर भी मुझे इस बात की अनुमति प्राप्त नहीं है कि मैं उन स्थानों पर जा सकूँ जहाँ आम लोगों का जाना मना है। जैसे फ़ौजी इलाके। हर देश में ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। केवल उन नागरिकों को प्रवेश की अनुमति होती है जो फ़ौज और उससे संबंध हैं या उन लोगों को अनुमति होती है जो रक्षा विभाग से संबंधित है।

इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म है जो पूरी दुनिया और सम्पूर्ण मानवता के लिए है।
इस्लाम का (धार्मिक दृष्टि से) 'फ़ौजी क्षेत्र' दो पवित्र स्थल हैं- एक मक्का और दूसरा मदीना। इन दोनों जगहों पर जाने की अनुमति विश्वसनीय उन्हीं लोगों की है जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं, और इस्लाम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये लोग मुसलमान हैं।

जिस प्रकार आम नागरिकों के लिए यह बात अक्ल और वृद्धि के विरुद्ध होगी के वे फ़ौजी क्षेत्रों में प्रवेश के निषेध पर आपत्ति करें, उसी प्रकार इस्लाम में विश्वास न रखने वालों के के लिए भी यह बात अनुचित है कि वे मक्का और मदीना में ग़ैर-मुस्लिमों के प्रवेश पर जो पाबंदी है उस पर आपत्ति करें और उसे गलत ठहराएं।

2. मक्का और मदीना में प्रवेश के लिए अनुमति-पत्र
   (क) एक व्यक्ति जब किसी देश की यात्रा का इरादा करता है तो उसे सबसे पहले उस देश में प्रवेश का अनुमति-पत्र (बीजा) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है। वर्तमान के अनुसार अनूठे, नियम और लोगों को मिलते हैं। जब तक संतोषप्रद ढूंढ से नियमों को पूरा नहीं कर लिया जाता, उस समय तक बीजा जारी नहीं किया जाता।
   (ख) जो देश बीजा देने में कठोरता दिखाते हैं, उनमें से एक अमेरिका है।
   विशेषकर जब वह बीजा तीसरी दुनिया के किसी देश के नागरिक के लिए जारी करना हो तो अमेरिका को उसे उससे बीजा जारी करने से पूर्व अनेक नियमों और जाब्तों की पूर्ति कराई जाती है।
(ग) जब मैंने सिंगापुर की यात्रा की तो देखा कि इमेग्रेशन फार्म पर लिखा था- "मात्रक वस्तुओं का धंधा करने वालों के लिए मौत की सजा है।" अगर नहीं सिंगापुर जाना है तो हमें उसके कानून पर अमल करना होगा। हम यह नहीं कह सकते कि मौत की सजा क्षूरता और वहस्यत पर आधारित है। अगर हम उनकी शर्तों और नियमों से सहमत हैं, तभी हमें इच्छानुसार संबंधित देश में जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) मक्का और मदिना में प्रवेश के लिए बुनियादी शर्त 'ला इला- ह इलाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' पढ़ना है। जिसका अर्थ है- "नहीं है कोई पूज्य प्रभु सिवाय अल्लाह के और मुहम्मद सल्ल. उसके पैगाम्बर हैं।"
सूअर के मांस का हराम (निषेध) होना

प्रश्न :- इस्लाम में सूअर का मांस खाना क्यों मना है?

उत्तर :- इस वास्तविकता से सब परिचित हैं कि इस्लाम में सूअर का मांस हराम है, नीचे इसके कुछ खास और अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है :

1. सूअर के मांस का कुरआन में निषेध

कुरआन में कम से कम चार जगहों पर सूअर के मांस के प्रयोग को हराम और निषेध ठहराया गया है। देखें पवित्र कुरआन 2:173, 5:3, 6:145 और 16:115 पवित्र कुरआन की निम्न आयत इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि सूअर का मांस क्यों हराम किया गया है:

“तुम्हारे लिए (खाना) हराम (निषेध) किया गया मुर्दार, खून, सूअर का मांस और वह जानवर जिस पर अह्वाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो।” (कुरआन, 5:3)

2. बाइबल में सूअर के मांस का निषेध

ईसाइयों को यह बात उनके धार्मिक ग्रंथ के हवाले से समझाई जा सकती है कि सूअर का मांस हराम है। बाइबल में सूअर के मांस के निषेध का उल्लेख लेख व्यवस्था (Book of Leviticus) में हुआ है:

“सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है, परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है।”

“इनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लौध को चूना भी नहीं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।” (लेविक व्यवस्था, 11/7-8)

इसी प्रकार बाइबल के व्यवस्था विवरण (Book of Deuteronomy) में भी सूअर के मांस के निषेध का उल्लेख है:

“फिर सूअर जो चिरे खुर का होता है, परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लौध चूना।”

(व्यवस्था विवरण, 14/8)

3. सूअर का मांस बहुत से रोगों का कारण है

ईसाइयों के अलावा जो अन्य गैर-मुस्लिम या नास्तिक लोग हैं वे सूअर के मांस के हराम होने के संबंध में बुद्धि, तर्क और विज्ञान के हवालों ही से संतुष्ट हो सकते हैं।
सूअर के मांस से कम से कम सतर विश्लेषण रोग जन्म लेते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में विश्लेषण प्रकार के कीड़ (Helminthes) हो सकते हैं, जैसे गोलाकार कीड़, नुकीले कीड़, फोटा कृमि आदि। सबसे ज्यादा गायत्री कीड़ ताइनिया सोलियम है जिसे आम लोग टैपवर्म (फ़्रीताकार कीड़) कहते हैं। यह कीड़ बहुत लंबा होता है और आँखों में रहता है। इसके अंडे खून में दाखिल होकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। अगर यह कीड़ दिमाग में चला जाता है तो इंसान की स्मरणशक्ति समाप्त हो जाती है। अगर यह दिल में दाखिल हो जाता है तो हड़प्प गति रुक जाने का कारण बनता है। अगर यह कीड़ आँखों में पहुंच जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता समाप्त कर देता है। अगर वह जिगर में चला जाता है तो उसे भारी क्षति पहुँचाने की क्षमता रखता है। एक दूसरा घातक कीड़ ट्रिक्व़रा टिक्वरासिस है।

सूअर के मांस के बारे में एक भ्रम यह है कि अगर उसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसके भीतर पनप रहे उपरोक्त कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका में किए गए एक चिकित्सकीय शोध में यह बात सामने आई है कि चौबीस व्यक्तियों में से जो लोग Trichura Tichurasis के शिकार थे, उनमें से बाइस लोगों ने सूअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे मालूम हुआ कि सामान्य तापमान में सूअर का मांस पकाने से ये घातक अंडे नष्ट नहीं हो पाते।

4. सूअर के मांस में मोटापा पैदा करने बाले तल्ल पाए जाते हैं

सूअर के मांस में पर्यायों को मजबूत करने बाले तल्ल बहुत कम पाए जाते हैं, इसके विपरीत उसमें मोटापा पैदा करने बाले तल्ल अधिक मौजूद होते हैं। मोटापा पैदा करने बाले ये तल्ल खून की नाड़ियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेसर (उच्च रक्तचाप) और हार्ट अटैक (दिल के दौरे) का कारण बनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पचास प्रतिशत से अधिक अमेरिकी लोग हाइपरटेंशन (अत्यन्त मानसिक तनाव) के शिकार हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग सूअर का मांस प्रयोग करते हैं।

5. सूअर दुनिया का सबसे गंदा और चिंतना जानवर है

सूअर जमीन पर पाया जाने बाला सबसे गंदा और चिंतना जानवर है। वह इंसान और जानवरों के बदले निकले बाली गंदगी को सेवन करके जीता और पलटवाला बहुत है।
इस जानवर को खाद्य ने धरती पर गंदगियों को साफ करने के उद्देश्य से पैदा किया है।

गाँव और देहातों में जहाँ लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं हैं और लोग इस कारण क्षुरे खुले वातावरण (खेत, जंगल आदि) में शूच आदि करते हैं, अधिकतर यह जानवर सूअर ही इन गंदगियों को साफ करता है।

कुछ लोग यह तरह प्रस्तुत करते हैं कि कुछ देशों जैसे आस्ट्रेलिया में सूअर का पालन-पोषण अन्य साफ-सुथरे द्रुग से और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। यह बात ठीक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए अनुकूल और स्वच्छ वातावरण में सूअरों को एक साथ उनके बाद में रखा जाता है। आप चाहे उन्हें स्वच्छ रखने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृतिक रूप से उनके अंदर गंदगी पसंदी मौजूद रहती है।

इसीलिए वे अपने शरीर और अन्य सूअरों के शरीर से निकली गंदगी का सेवन करने से नहीं चुकते।

6. सूअर सबसे बेशर्म (निर्लज्ज) जानवर है

इस धरती पर सूअर सबसे बेशर्म जानवर है। केवल यही एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों को बुलाता है कि वे आएं और उसकी मादा के साथ चौं स्वादिष्ट पूरी करें। अमेरिका में प्रायः लोग सूअर का मांस खाते हैं परिणामस्वरूप कई बार ऐसा होता है कि ये लोग डांस पार्टी के बाद आपस में अपनी बीवियों की अदला-बदली करते हैं अर्थातः एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मेरी पत्नी के साथ तुम रात गुजारो और तुम्हारी पत्नी के साथ में रात गुजारेंगा (और फिर वे व्यावहारिक रूप से ऐसा करते हैं) अगर आप सूअर का मांस खाएंगे तो सूअर की-सी आदेश आपके अंदर पैदा होंगी। हम भारतवासी अमेरिकियों को बहुत विकसित और साफ-सुथरा समझते हैं। वे जो कुछ करते हैं हम भारतवासी भी कुछ वर्षों के बाद उसे करने लगते हैं। Island पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार पत्नियों की अदला-बदली को यह प्रथा मुम्बई के उच्च और सम्प्रभु वर्गों के लोगों में आम हो चुकी है।
शराब हराम (वर्जित) क्यों है?

प्रश्न :- इस्लाम में शराब वर्जित (हराम) क्यों है?

उत्तर :- शराब हरम में मानव समाज के लिए एक अभिशाप रही है। इसके सेवन से अनगिनत लोगों को मीत होती रही है। इसके सेवन दुनिया के लाखों लोगों के लिए दुख और परेशानी का कारण बनता रहा है। शराब मानव समाज को पेश आने वाली विभिन्न कठिनाइयाँ का दुनियावै सबब रही है। अपराधों की दर में जिस तरह दिन-प्रतिदिन अभिवृद्धि हो रही है, लोगों के मानसिक रोगों की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है तथा लाखों लोगों के पारिवारिक जीवन छिप-भिंग हो रहे हैं, इन सबके पीछे शराब की खामोश विच्छेदकारी शक्ति कार्य कर रही है।

1. पवित्र कुरान में शराब का निषेध

पवित्र कुरान में निम्नलिखित आयत में शराब के निषेध का उल्लेख हुआ है—

“ऐ ईमान लाने बालो! यह शराब और जुआ और देवस्थान और पासे तो शैतानी काम हैं अत: तुम इस्में अलग रहो तकि तुम सफल हो।”

(कुरान, 5:90)

2. बाईबल में शराब का निषेध

बाईबल में भी शराब के सेवन को वर्जित ठहराया गया है—

()‘‘दाखल दुःख करने वाला और मदिरा (शराब) हथा मचानेवाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है, वह बुद्धि मन नहीं।”

(नीलिमचन, 20/1)

()‘‘शराब से मतवाले न बनो।”

(इफ्रियो, 5/18)

3. शराब ईसान की सहनशक्ति को क्षति पहुँचाती है

ईसान के मस्तिष्क में एक अवरोधक केन्द्र (Inhibitory centre) होता है। यह केन्द्र उसे ऐसे रोगों से रोक रखता है जिन्हें वह गलत समझता है। जैसे- एक व्यक्ति आम हालत में अपने माँ-बाप वा बड़ों से बातचीत करते हुए गाली-गलीज नहीं करता, अपशब्द नहीं कहता। अगर वह लोगों के सामने शौच आदि करने का इरादा करता है तो उसका यह अवरोधक केन्द्र उसे ऐसा करने से रोकता है। इसलिए वह व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति शराब का प्रयोग करता है तो उसका यह अवरोधक केन्द्र अपनी शक्ति खो देता है। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से शराब का आदी व्यक्ति अक्सर ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो उसकी नियमित आदतों और गुणों से बिलकुल मेल नहीं खाता जैसे- शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति को देखा
जाता है कि वह अपने माँ-बाप से बात करते हुए, उन्हें अत्यंत भूखी और भूंटी गालियाँ बक रहा है। कुछ शराबी तो अपने कपड़ों में पेशाब तक कर लेते हैं। शराब पीनेवाला न तो सही ढंग से बातचीत कर पाता है और न ही ठीक ढंग से चल ही पाता है।

4. व्य्वस्थापन, लालचक, माँ-बाप और बहन-भाई जैसे संबंधियों के साथ यौन संबंध और एड्स आदि की घटनाएं अधिकतर शराब पीनेवालों के साथ ही घटित होती हैं

National Crime Victimization Survey Bureau Of Justice (U.S. Dept. of Justice) के अनुसार केवल 1996 में हर दिन 2713 की संख्या में बलात्कार की घटनाएं हुईं। अंक्ष़ा बताते हैं कि बलात्कारियों में अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने इस अपराध के समय शराब पी रखी थी। लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनाओं में शराब पीनेवाले ही अधिकतर लिस होते हैं। अंक्ष़ा के अनुसार 8 प्रतिशत अमेरिकी लोग माँ-बाप और भाई-बहन जैसे पति पत्नी नातेदारों के साथ यौन संबंध में लिस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 12-13 में से एक अमेरिकी उपरोक्त पति पत्नी रिश्ता रखने वालों के साथ यौन संबंध में लिस होता है। इस प्रकार की अधिकतर घटनाओं में पुरुष और महिला कोई एक शराब के नशे में धुत होता है।

एड्स के फैलने के जो कारक होते हैं उनमें से शराब सबसे बड़ा और अहम कारक है।

5. हर शराबी शुरू में सोशल ड्रिंकर होता है

कुछ लोग अपने शराब पीने के बारे में कहते हैं कि वे ‘सोशल ड्रिंकर‘ हैं अर्थात् वे कभी पीते हैं, उन्हें पीने की लत नहीं हैं। उनका दावा होता है कि वे केवल एक या दो पैक ही पीते हैं और अपने ऊपर कब्जी रखते हैं। वे नशे में बदमस्त नहीं होते।

शोधकर्ताओं का मानना है कि हर शराबी शुरू में सोशल ड्रिंकर ही होता है। एक भी ऐसा शराब नहीं होगा कि जिसकी शुरु ही से यह नीतित हो कि वह शराब का आदी बनेगा। कोई भी सोशल ड्रिंकर अपनी इस बात या दावे में सच्चा नहीं हो सकता कि वह सालों से शराब पीते रहने के बावजूद एक बार भी मदमस्त नहीं हुआ।

6. शराबी का मदहोशी में किया गया केवल एक अपरिय कार्य उसके लिए जीवन भर का दाग होता है

मान लीजिए कि कोई अपराध सिर्फ एक बार ही शराब पीकर मदमस्त हुआ है और इस स्थिति में उसने बलात्कार या अन्य कोई जिन्दगी अपराध कर दाला हो और उसे बाद में अपने इस कुकूश्त पर खेद भी हो फिर भी यह वास्तविकता है कि एक सरल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने इस अपराध के बोझ को जीवनभर होता रहता है और पीढ़ित व्यक्ति के जश्न और उसको हुई शक्त की पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो सकती है।
7. पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल. ) ने भी शराब को हराम कहा है

(१) खुदा के पैगम्बर का कथन है—
“शराब तमाम बुराइयों की जड़ है और यह बेशर्मी की
चीज़ों में से सबसे बदुक है।”
(हदीस : सुनन इब्रै-माज़ा)

(२) “हर वह चीज़ जिसकी बड़ी मात्रा नशा पैदा करने वाली हो
उसकी अत्यन्तमात्रा भी हराम है।”
(हदीस : इब्रै-माज़ा)

(३) केवल उन्हीं लोगों पर लानत और धिकार नहीं भेजी गई है जो शराब पीते हैं
बल्कि उन लोगों पर भी अल्माह और उसके पैगम्बर की ओर से लानत और धिकार की गई
है जो शराब का कारोबार करते हैं।

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि खुदा के पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया—
“शराब के साथ जुड़े हुए दस लोगों पर अल्माह की ओर
से लानत और धिकार की जाती है। जो उसको निचड़ता
या तैयार करता है, जिसके लिए तैयार की गई है, उसका
पीनेवाला, उसको पहुँचाने या भेजनेवाला, जिसके पास उसे
भेजा जाए या पहुँचाया जाए, जिसे शराब पेश की जाए, उसे
भेजनेवाला, उसकी आमदनी से फायदा उठानेवाला, उसे
अपने लिए, खरीदनेवाला और दूसरे के लिए उसे खरीदने
वाला।”
(हदीस : इब्रै-माज़ा)

8. शराब के सेवन से पैदा होने वाली बीमारियाँ

शराब के निशेध होने के वैज्ञानिक कारण हैं। मीठी की अधिकतर घटनाओं का कारण
शराब पीना है। लाखों लोग हर साल इसके सेवन से मीठी के मुह में चले जाते हैं। यहाँ
इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती कि शराब के सेवन से होने वाले सभी दुष्प्रभावों
की विस्तार से चर्चा की जाए, इसलिए कि उनमें से अधिकांश के बारे में सबी लोग
परिचित हैं। यहाँ उसके सेवन से पैदा होने वाले रोगों की केवल एक संक्षिप्त सूची प्रस्तुत
करना ही पर्याप्त होगा।

- जिगर का सूरकण रोग (Cirrhosis of Liver) शराब और उस जैसे मादक
  पदार्थों के सेवन से पैदा होने वाली यह एक प्रमुख बीमारी है।
- Oesophagitis, Gastritis, Pancreatitis, Hepatitis ये सारी बीमारियाँ
  शराब के सेवन से पैदा होती हैं।
- Cardiomyopathy, Hypertension, Coronary Artherosclerosis, Angina और हार्ट अटेक आदि ये तमाम बीमारियों शराब के सेवन से पैदा होती हैं।

- Strokes, Apoplexy बेहोशी और विभिन्न प्रकार के पश्चात (Paralysis) ये सब बीमारियाँ शराब के सेवन से संबंध रहती हैं।

- Peripheral Neuropathy, Cortical Atrophy, Cerebellar Atrophy आदि मुख्य Syndromes हैं जो शराब की देन हैं।

- शराब के सेवन से शरीर में Thiamine की कमी हो जाती है जिससे Wernicke-Korsakoff, रोग पैदा होता है, जिससे वर्तमान चीजों की स्मरण शक्ति और अतिरिक्त जो घटनाओं की स्मरण शक्ति का हास हो जाता है तथा अन्य प्रकार के पश्चात रोग पैदा होते हैं।

- बेरी-बेरी रोग और अन्य प्रकार की कमियों शराबों में सामान्य रूप से पाई जाती है। यहाँ तक कि Pellagra शराब सेवन करने वालों के अंदर पैदा होता है।

- Delerium Tremens एक चाकुComplication है जो शराब सेवन करने वालों के बार-बार इन्फेक्शन के बीच या ऑपरेशन के बाद पैदा होता है। ये बीमारी पहेज के दौरान या उसके बाद भी अपना प्रभाव छोड़ती है। अच्छे इलाज के बावजूद भी यह मौत का कारण बन जाती है।

- अनेक Endocrine Disorders का संबंध शराब पीने से है। Myxodema से लेकर Hyperthyroidism तथा Florid Cushing Syndrome तक तमाम बीमारियाँ शराब के दुष्प्रभावों के रूप में प्रकट होती हैं।

- Hematological से संबंधित दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार के होते हैं जो काफी दिनों तक बाकी रहते हैं। Folic Acid की कमी शराब पीन से पैदा होती है। इसी का परिणाम Macrocytic Anemia के रूप में सामने आता है।

- Zeive’s Syndrome, दरअसल Hemolytic Anemia Jaundice पीलिया और Hyperlipaemia शराब से पैदा होने वाले रोग हैं।

- Thrombocytopenia और अन्य Platelet से संबंधित शिकायतें शराब की देन हैं।
- Metronidazole (Flagyl) गोली जिसका आमतौर पर प्रयोग होता है, शराब पीने के साथ इसके दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं।

- शराबियों के अंदर बार-बार इफेक्सन का होना आम बात है। बीमारियों से बचने के लिए रक्षा शक्ति और Immunological defense System शराब पीने वालों के अंदर प्रभावहीन हो जाते हैं।

- शराबियों के अंदर Chest Infection आम है। निमोनिया, Lung Abcess, Emphysema तथा Pulmonary, Tuberculosis, उनके अंदर आम है।

- शराब के नशे में धुत होने के बाद शराब पीने वाला आमतौर पर उलटी करता है इसके कारण Cough Reflexes जो सुरक्षा दृष्टि से जरूरी होते हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुँचता है। इस तरह उलटी फेफड़े में चली जाती है और वह निमोनिया और Lung Abscess का कारण बनती है। कई बार उसकी वजह से घुटन पैदा हो जाती है जिससे कि आदमी मर जाता है।

- शराब के सेवन का नुकसान औरतों के लिए और भी ज़्यादा है। मर्दों के मुकाबले में औरतें शराब से संबंधित Cirrhosis का ज़्यादा शिकार होती हैं। गर्भावस्था में शराब पीने से गर्भ को बहुत नुकसान पहुँचता है। Foetal Alcohol Syndrome चिकित्सा क्षेत्रों में एक झाँक तथ्य है।

- शराब के सेवन से चर्म रोग भी उत्पन्न होते हैं।

- एक्ज़िमा, Alopecia, Nail Dystrophy, Paronychia (नाखून के आस-पास इफेक्सन) और Angular Stomatitis (मुँह का सूजना) भी शराब पीने वालों में आम-सी बात है।

9. शराब पीना खुद एक बीमारी है

डॉक्टर लोग शराब पीने वालों के संबंध में किसी प्रकार के पक्षपात से बचने हुए यह विचार प्रकट करते हैं कि शराब पीना एक आदत नहीं बल्कि खुद एक बीमारी है।
Islamic Research Foundation ने एक पत्रिका प्रकाशित की है उसके अनुसार-
“अगर शराब बीमारी है तो यही एक बीमारी है जो—

- बोतल में बिकती है, उसका विज्ञापन अखबार और पत्रिकाओं में छपता है और टी.वी. तथा रेडियो पर प्रसारित होता है।

- उसको फेलाने वाली लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं, हुकुमत को उससे आमदनी होती है।

- बीच सड़क पर उसकी वजह से दर्दनाक मौत होती है।

- शराब पारिवारिक जीवन को तबाह व बर्बाद कर डालती है तथा अपराधों की दर इससे बढ़ जाती है।”

10. शराब पीना एक बीमारी ही नहीं बल्कि शैतानी काम है

ख़ुदा ने हमें शैतान की इस चाल से बाहर किया है। इस्लाम एक प्राकृतिक धर्म है, उसकी शिक्षाएँ इंसान के नेत्र की रक्षा करती हैं। शराब पीना वास्तव में इंसान को अपनी फ़ितरत के रास्ते से विमुख होना है। व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक रेखा पर भी। शराब का सेवन इंसान को जानवरों से भी बुरी हालत में पहुँचा देता है, जबकि इंसान, जैसा कि वह ख़ुद उसका दावेदार है, जानवरों से ऊंचा और सारी सृष्टि में उत्तम प्राणी है। उपयुक्त सभी विवरणों को सामने रखते हुए, इस्लाम ने शराब हराम (निषेध) की है।
गवाहों के बीच बराबरी का मामला

प्रश्न :- दो औरतें गवाही में एक पुरुष के बराबर क्यों हैं?

उत्तर :- यह बात सही नहीं है कि हमेशा दो औरतें की गवाही एक पुरुष ही के बराबर होती है। यह केवल कुछ मामलों में है। कुरआन में कम से कम पाँच ऐसी आयतें हैं जिनमें गवाहों की गवाही का उल्लेख है। लेकिन उनमें औरतों और पुरुषों में अन्तर की बात नहीं कही गई है। कुरआन की सूरा बकरा की आयत 282 जो कुरआन की सबसे बड़ी आयत है, उसमें माल और लेन-देन संबंधी आदेश दिए गए हैं। उस आयत का अनुवाद यह है-

"ऐं ईमान लाने वालो! जब किसी निष्ठुर अवधि के लिए आपस में कर्ज का लेन-देन करो तो उसे लिख लिया करो। और अपने पुरुषों में से दो गवाहों को गवाह बना लो, यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष और दो स्वयं जिन्हें तुम गवाह के लिए पसंद करो गवाह हो जाएँ ताकि एक कर्मयुज्य हो जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे।"

(कुरआन, 2:282)

यह आयत माल के लेन-देन और खरीदने-बेचने से संबंधित मामलों में रहनुमाई करती है। इस प्रकार के मामलों में यह आदेश दिया जा रहा है कि लिखित रूप में दोनों पक्षों के बीच इस तरह का समझौता हो तो इसके लिए दो गवाह बनाए जाएँ। यह ज्यादा अच्छा है कि वे दोनों पुरुष ही हों। अगर दो पुरुष न मिल सकें तो एक पुरुष और दो औरतें काफी होंगी।

जैसे कि एक व्यक्ति खास बीमारी का ऑपरेशन कराना चाहता है तो सही तौर पर इलाज के बारे में जानने के लिए वह इस बात को प्राथमिकता देता है कि वह दो योग्य एवं मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की इस बारे में राय जाने। अगर उसे दो सर्जन नहीं मिल पाते तो एक सर्जन और दो जनरल डॉक्टरों से जो केवल MBBS हैं, सम्मान करता है।

व्यक्ति के तौर पर अब यही उसके बारे में बाकी रह जाता है।

इसी प्रकार माल संबंधी या कारोबारी लेन-देन में दो पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। इस्लाम पुरुष को इस रूप में देखता है कि वह अपने घर वालों की आर्थिक जरूरत पूरी करने का जिम्मेदार है। अब चूकिंग आर्थिक जिम्मेदारी पुरुष के सिर है इसीलिए,
उनसे यह आशा की जाती है कि वे औरतों के मुकाबले में कारोबारी मामलों के अन्दर ज़्यादा योगदान, काबलियत और तजुर्वेल वाले होंगे। दूसरे विकल्प के तौर पर गवाह एक पुरुष और दो औरतों हो सकते हैं। इसी कारण यह आशा है कि अगर एक औरत कोई गलती करे तो दूसरी औरत उस गलती को ठीक कर सके। अन्य शब्दों में इस आयत में प्रयुक्त हुआ है वह ‘तत्त्व’ है जिसका अर्थ है मानसिक उलझन (Confusion) या गलती करना। कुछ लोगों ने इसका अनुवाद भूलना किया है जो गलत है। इस तरह मालिक या कारोबारी लेन-देन एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें दो गवाह औरतें एक गवाह मर्द के बराबर बताई गई है।

कुछ इस्लामी विधान यह राय रखते हैं कि औरतों का व्यवहार क़ल्ले के मामले की गवाही पर प्रभावित हो जाता है। इस तरह के मामलों में औरते मर्दों के मुकाबले में अधिक भयभीत और आँखबंद हो जाती हैं। अपनी इस भावना के कारण वे बहुत ज़्यादा मानसिक उलझन (Confusion) का शिकार हो सकते हैं। अतः कुछ धर्मशास्त्रियों की दृष्टि में क़ल्ले के मामले में दो औरतों को गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर होती है। पवित्र कुरआन में इस प्रकार की पाँच आयतें हैं जो गवाही के विषय पर प्रकाश दालती हैं। लेकिन उनमें से किसी में भी औरत और मर्द का उलझेमग्न नहीं है। विरोध के बैठक के कारण बनाने में गवाह के तौर पर दो न्यायप्रीत व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। पवित्र कुरआन में कहा गया है-

“ऐ ईमान लाने वालों! जब तुममें से किसी की मृत्यु का समय आ जाए तो वसीयत के समय तुममें से दो न्यायप्रीत व्यक्ति गवाह हों। या तुम्हारे ग़र लोगों में से दूसरे दो व्यक्ति गवाह बन जाएँ, यह उस समय कि यदि तुम सफर में गए हो और मीत तुम पर आ पहुँचे।” (कुरआन, 5:106)

औरत पर आरोप लगाने के मामले में न्याय के लिए चार व्यक्तियों की ज़रूरत होती है

‘औरत की इस्मत और अस्मत को निषाणा बनाने या उस पर आरोप धरने की सूत्र में चार गवाहों की ज़रूरत पड़ती है।’ (कुरआन, 24:4)

कुछ इस्लामी विधान कहते हैं कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होना सभी मामलों में लागू होती है। इस राय से किसी भी सूत्र में सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि पवित्र कुरआन की सूरा 24 नूर आयत 8 बहुत स्पष्ट तौर पर एक मर्द और एक औरत की गवाही को समान ठहराती है।
“पत्नी से भी सज्जा को यह बात टाल सकती है कि वह
चार बार अश्रूह की क़सम खाकर गवाही दे कि वह
बिलकुल झूठ है।”
(कुरआन, 24:8)

हजरत आइशा (रजि.) की हदीस में भी एक गवाही की बात है।

बहुत से धर्मशास्त्री इस बात पर एक मत हैं कि चाँद देखने के बारे में केवल एक
औरत की गवाही काफ़ी है। विचार करने कि एक औरत की गवाही इस्लाम के एक
अहम संबंध के लिए काफ़ी है। यानी तमाम मुस्लिम मर्द और औरतों का एक औरत
की गवाही पर रोजा रखना। कुछ धर्मशास्त्रियों का जबकि उसके ख़त्म पर अर्थात
ईद के दिन दो गवाही की जरूरत होगी। इस सिलसिले में एक मर्द और औरत के
बीच कोई अंतर नहीं होगा। कुछ हालात में केवल औरत की ही गवाही की जरूरत
होती है। मर्द की गवाही उस सिलसिले में क़बूल नहीं होगी, उदाहरणार्थ औरतों के
विशेष मामलों में। जैसे कि औरत के शाव को गुस्सा देते बक़्त गवाह औरत ही हो
सकती है।

कारोबारी और माल संबंधी मामलों में प्रकट रूप से जो असमानता पुरुषों और
औरतों के बीच दिखाई देती है, उसकी वजह लैंगिक असमानता नहीं है। उसका
कारण वास्तव में केवल यह है कि पुरुषों और औरतों की अपनी प्राकृतिक
विशेषताएं और समाज में विभिन्न भूमिकाएँ हैं, जिन्हें इस्लाम ने उनमें से प्रत्येक के
लिए निश्चित किया है।
विरासत

प्रश्न :- इस्लामी क़ानून के अनुसार विरासत में औरत का हिस्सा मई से आधा क्यों होता है?

उत्तर :- पवित्र कुरआन में हकदारों के बीच विरासत बांटने के संबंधित विस्तार से निर्देश मौजूद हैं। पवित्र कुरआन की निम्नलिखित आयतों में इस सिलसिले में वर्तन की गई है -


पवित्र कुरआन में तीन ऐसी आयतें हैं जिनमें मुतक के रिश्तेदारों के बीच विरासत बांटने के बारे में विस्तार के साथ रोशनी छाली गई है -

“अहमद तुम्हारी संतान के विपरीत में तुम्हें आदेश देता है कि दो बेटियों के हिस्से के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा, और यदि दो से अधिक बेटियाँ हों तो उनका हिस्सा छोटे हुई सम्पति का दो तिहाई है। और यदि वह अकेली हो तो उसके लिए आधा है। और यदि मरने वाले की संतान हो तो उसके माँ-बाप में से प्रत्येक के उसके छोटे हुए माल का छठा हिस्सा है। और यदि वह निस्संतान हो और उसके माँ-बाप ही उसके वारस हों तो उसकी माँ का हिस्सा तिहाई होगा। और यदि उसके भाई भी हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा होगा। ये हिस्से, वसीयत जो वह कर जाए, पूरी करने या ऋण चुका देने के पश्चात हैं। तम्हारे बाप भी हैं और तम्हारे बेटे भी। तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुंचाने की वृद्धि से कौन तुमसे अधिक निकन्त है। यह हिस्सा अहमद का निश्चित किया हुआ है। अहमद सब कुछ जानता, समझता है।

और तुम्हारी पत्नियाँ ने जो कुछ छोड़ा हो, उसमें तुम्हारा आधा है, यदि उनकी संतान न हो। लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वे जो छोड़े उसमें तुम्हारा चौथाई होगा, इसके पश्चात कि जो वसीयत वे कर जाएँ वह पूरी कर दी जाए या जो ऋण (उस पर) हो वह चुका दिया जाए। और जो कुछ तुम छोड़ जाओ, उसमें उनका (पत्नियों का) चौथाई हिस्सा होगा। यदि तुम्हारी कोई संतान न हो। लेकिन तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ देंगे उसमें से उनका (पत्नियों का) आठवाँ हिस्सा होगा। इसके पश्चात कि जो वसीयत तुमने की हो वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए और यदि किसी पुरुष या स्त्री के न तो कोई संतान हो और न उसके माँ-बाप ही जीवित हों और उसके एक भाई या बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक का छठा हिस्सा होगा। लेकिन यदि वे इससे अधिक हों तो फिर एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे, इसके पश्चात कि जो वसीयत उसने की वह पूरी कर दी जाए या जो ऋण (उस पर) हो वह चुका दिया जाए, शर्त यह है कि वह
हानिकर न हो। यह अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत सहनशील है।”

(कुरआन, 4:11-12)

“वे तुमसे आदेश मालूम करना चाहते हैं। कह दो : ‘अल्लाह तुम्हें ऐसे व्यक्ति के विषय में, जिसका कोई बारिस न हो, आदेश देता है – यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए जिसकी कोई संतान न हो, परन्तु उसकी एक बहन हो तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसका आधा हिस्सा उस बहन का होगा। और भाई बहन का बारिस होगा, यदि उस (बहन) की कोई संतान न हो। और यदि (बारिस) दो बहनें हों तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसमें से उनके लिए दो-तिहाई होगा। और यदि कई भाई–बहन (बारिस) हों तो एक पुरुष का हिस्सा दो स्त्रियों के बराबर होगा।”

(कुरआन, 4:176)

अधिकांश मामलों में औरतों को पुरुषों के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मृतक ने अपने बाद न तो ऊपर के रिश्तेदारों में से और न ही नीचे के रिश्तेदारों में से कोई छोड़ा हो, तब तक सफर सभी भाई और बहन छोड़े हों तो इनमें से हर बारिस की छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मृतक ने औलाद छोड़ी हो तो माँ-बाप दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी मीरास का छठा हिस्सा। कुछ मामलों में औरतों को पुरुषों के मुकाबले में दोगुना हिस्सा मिलता है। अगर मृतक औरत हो जिसके कोई औलाद न छोड़ी हो और न ही वो भाई और बहन छोड़े हों, तब तक केवल पति, माँ और बाप छोड़े हों तो इस सूत्र में पति को सारी मीरास का आधा, माँ को तिहाई और बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। इस खास मामले में माँ को बाप के मुकाबले में दोगुना हिस्सा मिलता है। यह बात सही है कि आम कानून के अनुसार अधिकांश हिस्सों में पुरुषों के मुकाबले में औरतों को आधा हिस्सा मिलता है। जैसे कि निम्नलिखित सूरतों में:

(i) बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है।
(ii) पति को आठवाँ और पति को चौथा अगर मृतक ने कोई औलाद न छोड़ी हो।
(iii) पति को चौथा और पति को आधा अगर मृतक ने औलाद छोड़ी हो।
(iv) अगर मृतक का ऊपर और नीचे के रिश्तेदारों में से कोई भी न हो तो बहन को भाई के मुकाबले में आधा मिलेगा।
इस्लाम में औरतों के जिम्मे आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी पुरुषों पर डाली गई है। औरत की शादी से पहले बाप या भाई की यह जिम्मेदारी है कि वह बहन के खाने-पीने और रहने-सहने तथा अन्य माली जरूरतों को पूरा करे। शादी के बाद यह जिम्मेदारी पति या बेटे की है। इस्लाम घरेलू जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर डालता है। पुरुष के ऊपर चौंकियाँ जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसे दोहरा हिस्सा मिलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को मीत होती है और वह देढ़ लाख रुपए बचाए (एक लड़का, एक लड़की) के लिए छोड़ता है तो इस सूरत में लड़के को एक लाख और लड़की को पचास हजार रुपए मिलेंगे। देखा जाए तो पुरुष (लड़का) उस एक लाख में से अपने परवालों पर लगभग अस्सी हजार रुपए खर्च कर डालता है। और खुद अपने खर्च के लिए उसके पास बीस हजार से ज्यादा नहीं बचता। दूसरी तरफ लड़की जिसे पचास हजार रुपए मिलते हैं, उस पर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती कि वह एक रुपया भी दूसरों पर खर्च करे। वह पूरी रकम को अपने लिए रख सकती है। आप इन दोनों सूरतों में से किसी पसंद करें। क्या एक लाख पाकर अस्सी हजार खर्च कर देने को या पचास हजार पाकर पूरी रकम अपने पास रख लेने को।
परलोक : जीवन मृत्यु के पश्चात

प्रश्न :- आप परलोक अर्थात जीवन मृत्यु के पश्चात को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं?

उत्तर :- 1. परलोक पर विश्वास अंधविश्वास का परिणाम नहीं है
कुछ लोग इस बात पर आश्र्य करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच वैज्ञानिक और
tार्किक हो वह परलोकवाद को किस तरह स्वीकार कर सकता है। लोग समझते हैं कि
परलोकवाद में विश्वास करने वाले अंधविश्वास से ग्रस्त होते हैं। वास्तविकता यह है कि
परलोक धारणा एक तर्कसंगत धारणा है।

2. परलोक की धारणा के तार्किक आधार
पवित्र कुरआन में एक हजार से अधिक ऐसी आयेतें हैं जिनमें वैज्ञानिक तथ्यों को बयान
kिया गया है। (देखिये मेरी पुस्तक Quran and Modern Science Compatible
Or Incompatible)
इन तथ्यों में वे तथ्य भी शामिल हैं जिनका पता पिछली कुछ शताब्दियों में चला है
वैसा वास्तविकता यह है कि वैज्ञानिक अब तक इस स्तर तक नहीं पहुँच सका है कि वह
कुरआन की हर बात को सिद्ध कर सके।
मान लीजिए कि पवित्र कुरआन में उल्लिखित तथ्यों का 80 प्रतिशत भाग विज्ञान की
कसौटी पर खरा उतरता है तो बाकी 20 प्रतिशत के बारे में भी सही कहने की बात यह
होगी कि विज्ञान उनके संबंध में कोई निर्णयक बात कहने में असमर्थ है। क्योंकि वह
अभी अपनी उत्तर के उस स्तर तक नहीं पहुँचा है कि वह पवित्र कुरआन के बयानों की
pुष्टि या उनका इंकार कर सके। हम अपनी सीमित ज्ञानार्थियों के आधार पर विश्वास के
साथ नहीं कह सकते कि कुरआन के बयानों का एक प्रतिशत अंश भी गलत और गलती
पर आधारित है। देखने की बात यह है कि कुरआन के सम्पूर्ण बयानों का अगर 80
प्रतिशत वास्तविक रूप से सही सिद्ध होता है तो तार्किक तौर पर शेष 20 प्रतिशत के बारे
में भी यही निर्णय किया जाएगा। इस्लाम में परलोक या मृत्यु के पश्चात जीवन की
कल्पना इसी 20 प्रतिशत हिस्से से संबंधित है
जिसके बारे में बुद्धि और तर्क की माँग है कि उसे सही और तृटिहीन स्वीकार किया जाए।

3. परलोक की धारणा के बिना शांति तथा मानवीय मूल्यों की कल्पना व्यर्थ है
    डकेटी या लूटमार अच्छी चीज है या बुरी एक आम सरल स्वभाव व्यक्ति उसे एक बुरी
    चीज समझेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो परलोक पर विश्वास नहीं रखता किसी बड़े अपराधी
    को किस तरह संतुष्ट कर सकता है कि डकेटी या लूटमार का काम एक बुरी चीज है।
    मान लीजिए कि में दुनिया का एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ और साथ ही में एक अत्यंत
बुद्धिमान और तर्क के आधार पर कोई बात मानने वाला व्यक्ति भी हूँ। मैं कहता हूँ कि लूटमार करना सही है क्योंकि इससे मुझे ऐसा दिखा जाता है कि अब आगर कोई व्यक्ति उसके बुरे होने का कोई एक तर्क भी पेश कर सके तो मैं उससे तुरंत रूक जाएँगा। लोग आमतौर से निप्पिलिखित तर्क पेश कर सकते हैं:

(क) जिस व्यक्ति को लूटा जाता है वह कठिनाइयों में पड़ जाता है
कोई कह सकता है कि जिस आदमी को लूटा जाता है वह बड़ी मुश्किलों का शिकार हो जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिसे लूटा जाता है उसके लिए यह बुरा है। लेकिन मेरे लिए यह अच्छा है। अगर में एक लाख रुपए लूटमार करके हासिल कर लूँ तो मैं किसी भी पाँच सितारा होटल में स्वादिष्ठ खाना से आनन्दित हो सकता हूँ।

(ख) कुछ लोग आपको भी लूट सकते हैं
कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप लूट लिए जाएँ। लेकिन इसके जवाब में मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि में एक अत्यन्त शक्तिशाली अपराधी हूँ और अपने साथ सैकड़ों बॉडीगार्ड रखता हूँ। इसलिए मैं तो किसी को भी लूट सकता हूँ लेकिन कोई दूसरा मुझे नहीं लूट सकता लूटमार करना एक आम आदमी के लिए तो खतरनाक हो सकता है लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिए नहीं।

(ग) पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है
कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर आप लूटमार करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसका जवाब में यह दे सकता हूँ कि पुलिस मुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि पुलिस मेरे प्रभाव में है। इसी तरह कई मंत्री भी मेरे प्रभाव में हैं। मैं यह बता बनाता हूँ कि अगर एक आम आदमी डैंकेति या लूटमार करता है तो वह गिरफ्तार हो सकता है और यह बताये कि किसी हो सकती है लेकिन किसी असाधारण शक्ति और पहुँच रखने वाले अपराधी ना पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

(घ) लूटमार की कमाई बेमेहनत की कमाई है
कुछ लोग कह सकते हैं कि यह आसानी के साथ प्राप्त की हुई कमाई है। मेहनत की कमाई नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि यह आसानी की कमाई है। यही कारण है कि मैं लूटमार करता हूँ। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने दो विकल्प हों यानी वह आसानी के साथ भी दौलत कम सकता है और परिश्रम के साथ भी तो नि:संदेह वह आसानी को पसन्द करेगा।

(ङ) लूटमार करना मानवता के विरुद्ध है
कुछ लोग कह सकते हैं कि लूटमार करना मानवता के विरुद्ध है और एक व्यक्ति को
दूसरे व्यक्ति के हितों क खुदाल रखना चाहिए। मैं इस तर्क का यह कहकर जवाब दे सकता हूँ कि आखिर मानवता नाम क यह नियम किसने बनाया है और मैं क्यों इसका पालन करूँ? यह नियम भालूक लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है लेकिन चूँकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो तर्क म विश्वास करता हूँ, मुझे दूसरों के हितों का खुदाल रखने में कोई लाभ नज़र नहीं आता।

(३) लूटमार करना एक स्वार्थपूर्ण कार्य है

कुछ लोग कह सकते हैं कि यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य है। यह बात सत्य है कि लूटमार करना एक स्वार्थपूर्ण कार्य है, लेकिन में स्वार्थी क्यों न बनूँ?

इससे मुझे आनन्दपूर्ण जीवन गुजारने में मदद मिलती है।

(१) लूटमार के बुरा होना का कोई तार्किक कारण नहीं है

वे सभी तर्क जो इस बात को साबित करने के लिए दिए जा सकते हैं कि लूटमार एक बुरा काम है, इस प्रकार उपरोक्त स्पष्टकरण की रोशनी में व्यर्थ सिद्ध होते हैं।

यह प्रमाण और तर्क आम लोगों को तो संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन किसी शक्तिशाली और प्रभावशाली अपराधी को नहीं।

इनमें से किसी भी प्रमाण को तार्किक आधारों पर स्त्रीकर नहीं किया जा सकता।

इसमें आधार की भी कोई बात नहीं है कि इस दुनिया में अपराधी लोग भरे पड़े हैं।

इसी प्रकार धोखा-धड़ी और बलात्कार आदि अन्य बुराइयों का मामला है। किसी भी प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधी को किसी भी तार्किक प्रमाण के साथ इन चीजों के बुरा होने के बारे में संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

(२) एक मुस्लिम किसी प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधी को संतुष्ट कर सकता है

अब हम समस्या पर एक-दूसरे रुख से बार्ता करते हैं। मान लीजिए कि आप दुनिया के एक अल्लाह प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधी हैं। आपके प्रभाव में पुलिस व मंत्री हैं तथा आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए कॉफ़ नहीं कॉफ़ है। आपको एक मुस्लिम क़ायतल कर सकता है कि लूटमार करना, धोखा-धड़ी करना, बलात्कार और क़ुर्कम करना ये सारी चीजें गलत और बुरे कर्म हैं।

(३) प्रत्येक व्यक्ति न्याय चाहता है

प्रत्येक व्यक्ति न्याय चाहता है। अगर वह दूसरों के लिए न्याय का इच्छुक न भी हो फिर भी वह अपने लिए तो अवसर ही न्याय की अभिलाषा करता है। कुछ लोग ताकत और प्रभाव के नशे में चूर होते हैं और दूसरों को दूख और तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अगर इन लोगों के साथ कोई अन्याय होता है तो उन्हें इस पर शिकायत होती है। ऐसे लोग जो
दूसरों के दुख-दर्द को महसूस नहीं करते वास्तव में ताक़त और प्रभाव के पुजारी होते हैं। यह ताक़त और प्रभाव न केवल उन्हें दूसरों पर अत्याचार करने पर उभारता है बल्कि दूसरों को उन पर अत्याचार करने से रोकने में भी सहायक होता है।

(४) खुदा सबसे ज्ञादा शक्तिशाली और न्यायी है
एक मुस्लिम की है सयंथात से एक व्यक्ति किसी अपराधी को खुदा के अस्तित्व के बारे में क्रायल कर सकता है।
यह खुदा किसी भी अपराधी से ज्ञादा शक्तिशाली है और हरेक के साथ न्याय करने वाला भी। पवित्र कुरआन में हैं-

“खुदा कभी कण-भर भी अन्याय नहीं करता।”

(कुरआन, 4:40)

(५) खुदा सजा क्यों नहीं देता?
एक ऐसा अपराधी व्यक्ति जो बुद्धि और विज्ञान में विश्वास रखता है वह कुरआन के वैज्ञानिक तथ्यों को देखने के बाद इस बात से सहमत है कि खुदा मौजूद है। वह यह तर्क दे सकता है कि खुदा शक्तिशाली और न्यायी होने के बावजूद उसे अपराधों पर सजा क्यों नहीं देता?

(६) जो लोग किसी के साथ अन्याय करते हैं उन्हें सजा दी जाएगी
हर वह व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ हो यह देखे बग़ीर कि उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, चाहता है कि अत्याचारी को सजा दी जाए। एक आम और सामान्य व्यक्ति चाहता है कि डैकेत या बलात्कारी को शिकाप्रद सजा दी जाए। हालाँकि बहुत-से अपराधियों को सजा हो जाती है फिर भी बहुत-से अपराधी क्रूँत की पकड़ से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। वे भोग-विलास से पूर्ण जीवन व्यीत करते हैं और आराम और चैन से रहते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ कोई ऐसा व्यक्ति अत्याचार करता है जो उनसे ज्ञादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है तो वे लोग इस बात के अभिलाषी होते हैं कि इस अत्याचारी को सजा दी जाए।

(७) यह जीवन परलोक के लिए आज्ञात्मक है
यह दुनिया परलोक के लिए परिक्षा स्थल है। पवित्र कुरआन में हैं-

“जिसने मोत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुम लोगों को आज्ञात्कर देखे कि तुममे से कौन अच्छे से अच्छा कर्म करने वाला है और वह प्रभुत्वशाली भी है और क्षमा करने वाला भी।”

(कुरआन, 67:2)

(८) फैसले के दिन पूर्ण न्याय किया जाएगा
पवित्र कुरान में हैं-

““हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम सब अपनी
पूरी-पूरी मजहूरी प्रलय के दिन पाने बाले हो, सफल वास्तव
में वह है जो वहाँ नरक की आग से बच जाए और स्वर्ग में
दाखिल कर दिया जाए। रहा यह संसार तो यह केवल एक
जाहिरी भोखे की चीज है!”” (कुरान, 3:185)

इस्लाम के साथ आक्षरी और पृथ्वी न्याय का मामला बदले के दिन होगा। सारे इस्माइल को
परलोक में हिसाब के दिन उठाया और जिंदा किया जाएगा। यह संभव है कि किसी
व्यक्ति की उसके किए कि सजा का एक भाग इस दुनिया में ही मिल जाए, लेकिन
फाइनल सजा या इनाम उसे आखिरत में दिया जाएगा। महान ख़ुदा एक दक्षत या
बलात्कारी को चाहे इस दुनिया में सजा न दे लेकिन परलोक में फ़ैसले के दिन वह जरूर
अपराध को सजा देगा।

(९) इस्माइल का अद्वैत हिंदुस्तन को भला क्या सजा दे सकता है?

हिंदुस्तन ने लगभग ६० लाख यहूदियों को मौत के घाट उठाया। पुलिस अगर उसे गिरफ़्तार
कर लेती तो इस्माइल का उसे भय सजा दे पाता? ज़यादा से ज़यादा जो सजा ऐसे व्यक्ति
को मिल सकती है वह यह है कि उसे भी गैस चेम्बर में भेज दिया जाए। लेकिन देखा
जाए तो यह विषय एक यहूदी को किसी प्रकार गैस चेम्बर में जला देने की सजा होगी,
लेकिन बाकी ५९ लाख ९९ हज़ार ९९९ जलाकर मारे गए लोगों के बारे में आप क्या
कहेंगे?

(१०) ख़ुदा हिंदुस्तन को ६० लाख से ज़यादा बार नरक में जला सकता है

पवित्र कुरान में हैं-

“जिन लोगों ने हमारी आयतों का ईंकार किया उन्हें हम
जल्द ही आग में झूंकेंगे। जब भी उनकी खाली पक जाएगी
तो हम उन्हें दूसरी खालियों से बदल दिया करेंगे। ताकि वे
यातना का मजा चखते ही रहें। निस्संदेह ख़ुदा प्रभुत्वशाली
तत्वदर्शी है!”” (कुरान, ४:५६)

अगर ख़ुदा चाहे तो वह हिंदुस्तन को ६० लाख से ज़यादा बार नरक में जला सकता है।

(११) परलोक की धारणा के बिना मानवीय मूल्यों और बलाई-बुलाई की कोई
कल्पना नहीं

यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि परलोक की धारणा के बग़ाव आप किसी अत्याचारी के
सामने बलाई-बुलाई और मानवीय मूल्यों की वास्तविकता को सिद्ध नहीं कर सकते।
विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के सामने जो अत्याचारी, दमनकारी और शक्तिशाली हों।
मुसलमान फ़िरकों और मतों में क्यों बैंटे हैं?

प्रश्न :- सारे मुसलमान जब एक कुरान पर ईमान रखते हैं और उसका अनुपालन करते हैं तो फिर मुसलमानों में इतने फिरके और मत क्यों पाए जाते हैं?

उत्तर :-

1. मुसलमानों को चाहिए कि वे संगठित हों

यह बात सही है कि आज मुसलमान परस्पर बैंटे हुए हैं। दुःख की बात यह है कि यह सरासर गैर इस्लामी चीज है। इस्लाम अपने अनुयायियों के बीच एकता चाहता है।

कुरान में है--

“और सब मिलकर अख़्लाक की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में न पड़ो।” (कुरान, 3:103)

अख़्लाक की रस्सी जिसका इस आयत में उल्लेख किया गया है, क्या है? वास्तव में वह रस्सी पवित्र कुरान है। जिसे सभी मुसलमानों को मिलकर मजबूती के साथ पकड़े रहना चाहिए। कुरान की इस आयत में इस बात पर दोहरा बल दिया गया है। एक और कहा गया है कि अख़्लाक की रस्सी को सब मिलकर मजबूती के साथ पकड़ लो और दूसरी ओर कहा गया कि विभेद में न पड़ो और टकड़ों में ने बैंटो।

पवित्र कुरान में है--

“आज्ञापालन करो खुदा का और आज्ञापालन करो उसके पैगम्बर का।” (कुरान, 4:59)

सारे मुसलमानों को कुरान और सहीह हदीसों का अनुपालन करना चाहिए तथा परस्पर विभेद में नहीं पड़ना चाहिए।

2. इस्लाम में गिरोहबंदी और फिरकाबंदी मना है

पवित्र कुरान में है--

“जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और स्वयं गिरोहों में बैंट गए, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं। उनका मामला तो बस अख़्लाक के हवाले है। फिर वह उन्हें बता देगा जो वे किया करते थे।” (कुरान, 6:159)

कुरान की इस आयत में खुदा कहता है कि लोगों को चाहिए कि वे उन लोगों से अपने को अलग रखे जिन्होंने धर्म के विभेद पैदा किया और उसे गिरोह में बैंट दिया।
मगर जब कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम से पूछता है कि तुम कौन हो तो आमतौर पर उसका उत्तर होता है कि मैं सुनी हूँ या शिया हूँ। कुछ लोग अपने आपको हनफी या शाफ़ी या मालिकी या हंबली कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि मैं देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ।

3. हमारे पैगम्बर (हजरत मुहम्मद सल्ल.) मुस्लिम थे

इसी प्रकार मुस्लिमों से अगर पूछा जाए कि ख़ुद हमारे प्यारे पैगम्बर क्या थे? वे हनफी थे या शाफ़ी, हंबली थे या मालिकी, तो वे जवाब देंगे कि वे अन्य तमम पैगम्बरों
की तरह एक मुस्लिम थे और ख़ुदा के पैगम्बर थे।

पवित्र कुरआन की सूरा-3 आले-इमार की मत्स्य 52 में कहा गया है कि हजरत ईसा (अले.) मुस्लिम थे। इसी प्रकार इसी सूरा की मत्स्य 67 में हजरत इब्राहीम (अले.) के
बारे में बताया गया है वे न यहूदी थे और न ईसाई बल्कि मुस्लिम थे।

4. कुरआन कहता है कि तुम स्वयं को मुस्लिम कहो

(क) अगर कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम से पूछता है कि तुम क्या हो? तो उसे जवाब
कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ न कि हनफी या शाफ़ी।

पवित्र कुरआन में हैः

“और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो
अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहें कि
निस्सैंदेह में मुस्लिम (आज़ाकारी) हूँ।” (कुरआन, 41:33)

कुरआन कहता है कि तुम कहो कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अल्लाह के आगे सिर झुकाने
वाले अर्थात मुस्लिम हैं।

(ख) ख़ुदा के पैगम्बर हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने गैर-मुस्लिम बादशाहों को पत्र
लिखवाए जिनमें उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। इन पत्रों में उन्होंने पवित्र कुरआन
की सूरा-3 आले-इमार की मत्स्य-64 का उल्लेख किया जिसका तर्जुमा इस प्रकार हैः

“.....गवाह रहो हम तो मुस्लिम (ख़ुदा के आज़ाकारी) हैं।

5. इस्लाम के तमम विद्वानों और धर्मशास्त्रियों का आदर

हमें चारों इमाम-इमाम अबु हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम हंबल, इमाम मालिक समेत
सभी इमामों का आदर करना चाहिए और उनके साथ अचर रचनी चाहिए। वे इस्लाम
के महान विद्वान थे। ख़ुदा उन्हें उनकी दीनी सेवाओं और उनकी मेहनतों का बड़ा बदला
देगा। किसी को भी ऐसे व्यक्ति पर अतारा नहीं करना चाहिए जो इमाम अबु हनीफा या
इमाम शाफ़ी में से किसी के विचारों से सहमत हो। लेकिन यदि स्वाल किया जाए तो
इसका उत्तर यही देना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं।

6. कुछ लोग विवेद और गिरोहबंदी के सिलसिले में हदीस संग्रह सुनन अबू दाउद की हदीस नं. 4579 को प्रमाणस्वरूप पेश कर सकते हैं, जिसमें पैगम्बर हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल.) ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फ़िर्क़ों में बॉट जाएगी। इस हदीस 
में उम्मत के 73 फ़िर्क़ों में बॉट जाने की बात जसूर कही गई है लेकिन यह नहीं 
कहा गया है कि मुसलमानों को अपने आपको 73 फ़िर्क़ों में बॉट लेना चाहिए।
पवित्र कुरआन का आदेश है कि हमें फ़िर्कों और गिरोहों में नहीं बॉटना चाहिए। जो 
लोग कुरआन और सहीह हदीसों की शिक्षाओं को सिस आँखों से लगाते और उनकी 
पैरवी करते और फ़िरक़ा बंदी में नहीं पड़ते वह सत्य मार्ग पर हैं।
तिरमिज़ी हदीस नं. 171 के अनुसार ख़ुदा के पैगम्बर (सल्ल.) ने फरमाया कि मेरी 
उम्मत 73 फ़िर्क़ों में बॉट जाएगी। उनमें से सिवाय एक के हर फ़िरक़ा नरक में 
जाएगा। सहाबा (रज.) ने सबाल किया कि वह निजात पाने वाला फ़िरक़ा और 
जमात कौनसी होगी। नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया कि जिसकी ओर में और मेरे 
सहाबा (रज.) संबद्ध हैं।
पवित्र कुरआन की कई आयतों में मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि वह 
अह्लह और उसके रसूल (सल्ल.) का आज्ञापालन करें। एक सच्चे मुसलमान को 
केवल कुरआन और सहीह हदीसों का पालन करना चाहिए। एक मुसलमान किसी 
इमाम या आलिम के कथनों से, जो कुरआन और हदीस के अनुसार हो सहमत तो 
हो सकता है और होना चाहिए लेकिन अगर वे कुरआन और हदीस के अनुसार न हो 
तो यह देखे बौढ़ कि संबंधित इमाम या आलिम कितना बड़ा है, उनका कोई महत्व 
व मूल्य नहीं है। अगर तमाम मुसलमान कुरआन को समझकर, सहीह हदीसों की 
रोशनी में पढ़े तो इशाअह्लह सभी मतभेद स्वतं: समास हो जाएँगे और हम एक 
संगठित उम्मत के सही ढँचे में ढल जाएँगे।
इस्लाम की ही अनुपालना क्यों?

प्रश्न :- तमाम धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को अच्छी और भली बातों की ही शिक्षा देते हैं तो फिर आखिर केवल इस्लाम की अनुपालना पर ही बल क्यों दिया जाए। क्या किसी अन्य धर्म का अनुपालन नहीं करना चाहिए?

उत्तर :-

1. इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच भारी अंतर है

सभी धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को भलाई का रास्ता अपनाने और बुराई से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन इस्लाम का मामला इससे बड़कर है। वह हमें भलाई को अपनाने और बुराई की जड़ों को अपने निजी और सामाजिक जीवन से उखाड़ फेंकने का व्यावहारिक तरीका बताता है। इस्लाम मानव स्वभाव और इंसान की सामाजिक परीसरयों को अपनी तबुजोह का केंद्र बनाता है। इस्लाम धर्म स्वयं जगत स्वामी की ओर से मार्गदर्शन के रूप में आया है। इसीलिए, इस्लाम को दौन-फितर अर्थात प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है।

2. उदाहरण :- इस्लाम हमें अदेश देता है कि हम लूट-मार से दूर रहें। इसी के साथ लूट-मार और डकैतों को जड़ से खत्म करने का व्यावहारिक तरीका भी बताता है।

(क) इस्लाम लूटमार के खाते के व्यावहारिक तरीके की रहनुमाई करता है।

तमाम बड़े धर्मों की शिक्षाओं में यह बात है कि चोरी एक बुरा काम है। इस्लाम भी यहीं कहता है। फिर इस्लाम और अन्य धर्मों में क्या अन्तर है? अन्तर यह है कि इस्लाम इस नजरिये के साथ एक ऐसा सामाजिक ढाँचा तैयार करने का व्यावहारिक तरीका और रास्ता बताता है कि जिसमें लोग लूट-मार और डकैतों से दूर रहें।

(ख) इस्लाम जजात का तरीका बताता है।

इस्लाम जजात व्यवस्था लागू करने की बात कहता है। इस्लाम के क़ानून के अनुसार हर वह व्यक्ति जो निसाब (एक निश्चित धन) का स्वामी हो अर्थात जिसके पास 85 ग्राम सोना हो वह हर माल उसमें से ढाई प्रतिशत हिस्सा आँख की राह में निकाले। अगर दुनिया का प्रत्येक धनवान व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने माल की जजात अदा करे तो दुनिया से गरीबों का खात्मा हो जाए। ऐसी परिस्थिति में एक इंसान भी भूख के कारण नहीं मरेगा।

(ग) डकैतों या लूटमार की सजा में हाथ का काटा जाना।

इस्लाम चोरों-डकैतों करने वालों की सजा उनका हाथ काटना बताता है। बशर्ते कि आरोप सिद्ध हो चुका हो। पवित्र कुरान में है-
"‘चोर चाहे ओरत हो या पुरुष दोनों के हाथ काटो। यह
उनकी कमाई का बदला है और खुदा की ओर से शिक्षाप्रद
सजा। खुदा प्रभुत्वशाली, तत्वद्वारा है।’"  (कुरान, 5:38)

गैर-मुस्लिम कह सकते हैं कि 21 वीं सदी में हाथ काटने की बात सिद्ध करती है कि
इस्लाम एक जंगली और निर्देश्य धर्म है।

(घ) इस्लामी क्रानूनी के लागू होने से कितने अछे परिणाम सामने आते हैं।
अमेरिका का दुनिया का सबसे आधुनिक और विकसित देश समझा जाता है। यह सत्य है और इसी के साथ यह बात भी सत्य है कि वहाँ अपराधों, चोरी, डैंगैंटी आदि की दर भी बहुत ज्यादा हैं। माना लीजिए कि अगर अमेरिका में इस्लामी क्रानून लागू हो जाए तो उसका नतीजा यह होगा कि हर धनवान व्यक्ति को जकात देनी होगी यानी अपने धन का
ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष दान देना होगा और हर ऐसे व्यक्ति का हाथ काटा जाएगा जिस पर
चोरी या डैंगैंटी का अपराध सिद्ध हो गया हो। इस स्थिति में क्या चोरी और डैंगैंटी की
घटनाओं में बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी? स्पष्ट है कि इस स्थिति में इन अपराधों में
कमी ही आएगी। साथ ही इस प्रकार का सख्त क्रानून लागू होने से बहुत से ऐसे लोगों
के हीसले पस्त होंगे, जिनके अंदर आगे चलकर चोर और डैंगैंट बन जाने की प्रवृत्ति पाई
जाती है।

यह बात सही है कि दुनिया में होने वाली चोरी, डैंगैंटी की घटनाएँ इतनी अधिक हैं
कि अगर तमाम चोरों और डैंगैंटों का हाथ काट डाला जाए तो दुनिया के लाखों लोगों
के हाथ कट जाएँगे। विचार करने की बात यह है कि अप ज्यों ही इस क्रानून को किसी
देश में लागू करेंगे वहाँ इस अपराध का दर फौरन घट जाएगी। कोई व्यक्ति जो चोरी या
डैंगैंटी की प्रवृत्ति रखता है या अपराध करना चाहता है वह अपना हाथ कटने के डर से
यह अपराध करने से पहले सौं बार सोच गए। कम ही लोग यह दुस्सहास कर सकेंगे।
अतः हाथ काटने की नौबत कम ही लोगों के साथ पेश आएगी। साथ ही अहम बात यह
है कि लाखों लोग सुख-शांति और चिंता मुक्त जीवन बसर करेंगे।

इस्लामी क्रानून व्यवहारिक है और उसके शानदार नतीजे सामने आते हैं।

3. इस्लाम व्यभिचार, बलात्कार, औरतों के साथ छेड़छाड़ करने से मना करता है।
परंतु को जारी होता है और ऐसे (शादीशुदा) व्यक्ति को जिस पर व्यभिचार
का अपराध सिद्ध हो चुका हो मौत की सजा देता है।

(क) इस्लाम व्यभिचार, बलात्कार और औरतों के साथ छेड़-छाड़ रोकने के
लिए सही ढंग पेश करता है।
तमाम बड़े धर्म इस बात पर सहमत हैं कि व्यभिचार, बलात्कार या औरों के साथ छेड़छाड़ बड़े गुनाह हैं। इस्लाम की शिक्षा भी यही है। फिर भी इस्लाम में और अन्य धर्मों में जो अन्तर है वह यह है कि इस्लाम सिर्फ़ औरों के आदर- सम्मान की शिक्षा ही नहीं देता तथा औरों के साथ छेड़-छाड़ और व्यभिचार को घृणित और घोर अपराध ही नहीं ठहराता बल्कि वह तरीक़ा भी इस्लाम को बतलाता है जिसके द्वारा इस तरह के अपराधों को समाज से समाप्त किया जा सकता है।

इस्लाम ने पुरुषों और औरों के लिए पर्दे के अलग-अलग निर्देश दिए हैं। अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से औरों के साथ छेड़छाड़ और उनका यौन उत्पीड़न खत्म होगा।
इस संबंध में हम पिछले पृष्ठों में वातां कर चुके हैं।

4. इस्लाम के पास ईसान की समस्याओं का व्यावहारिक हल मौजूद है
इस्लाम एक बेहतरीन जीवन-व्यवस्था है इसलिए कि इसकी शिक्षाएँ केवल सैद्धांतिक शब्दों पर आधारित नहीं बल्कि ईसान की समस्याओं का व्यावहारिक हल इसमें बताया गया है।
इस्लाम पर अमल के नतीजे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सामने आते हैं। इस्लाम सबसे बेहतर जीवन-व्यवस्था है। इसलिए कि वह एक व्यावहारिक विश्वव्यापी धर्म है। वह किसी नस्ल, गिरोह या ऋष्ण तक सीमित नहीं।
इस्लाम की शिक्षाओं और मुसलमानों
के अपने अमल के बीच अंतर

प्रश्न :- अगर इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है तो आखिर बहुत से मुसलमान बेईमान, बेभरोसा क्यों हैं और धोखाधड़ी और रिश्त और घूसकोरी में क्यों लिप्त हैं?

उत्तर :-
1. मीडिया इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करता है

(क) इस्लाम बेशक सबसे अच्छा धर्म है लेकिन असल बात यह है कि आज मीडिया की नकल पश्चिम वातों के इकाइयों में है, जो इस्लाम से भयभीत हैं। मीडिया बराबर इस्लाम के विरुद्ध बातें प्रकाशित और प्रसारित करता है। वह या तो इस्लाम के विरुद्ध गलत सूचनाएं उपलब्ध कराता है और इस्लाम से संबंधित गलत-सत्तल उद्दरण देता है या फिर किसी बात को जो मौजूद हो गलत दिखा देता और उछालता है।

(ख) अगर कहीं किसी फटके को कोई घटना होती है तो बर्गे किसी प्रमाण के सबसे पहले किसी मुसलमान को दोषी ठहरा दिया जाता है। समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी सुर्खियों में उसे प्रकाशित किया जाता है। फिर जब आगे चलकर यह पता चलता है कि इस घटना के पीछे किसी मुसलमान के बजाए किसी गीर-मुस्लिम का हाथ था तो इस खबर को पहले बाला महत्व नहीं दिया जाता और छोटी-सी खबर दे दी जाती है।

(ग) अगर कोई 50 साल का मुसलमान व्यक्ति 15 साल की मुसलमान लड़की से उसकी इजाजत और मर्जी से शादी करता है तो वह खबर अखबार के पहले पने पर प्रकाशित की जाती है। लेकिन अगर कोई 50 साल का गीर-मुस्लिम व्यक्ति 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो इसकी खबर को अखबार के अन्दर के पने में संशोधित समाचार के कॉलम में जगह मिलती है। प्रतिदिन अमेरिका में 2713 बलात्कार की घटनाएं होती हैं लेकिन वे खबरों में नहीं आती क्योंकि अमेरिकियों के लिए इस प्रकार की चीजें जीवनचर्चा में शामिल हो गई हैं।

2. फाली भेड़ें (गलत लोग) हर समुदाय में मौजूद हैं
हम जानते हैं कि कुछ मुसलमान बेईमान और भरोसे के लायक नहीं हैं। वे धोखाधड़ी आदि कर लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि मीडिया इस बात को इस तरह पेश करता है जैसे ये सिर्फ मुसलमान ही हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। हर समुदाय के अन्दर कुछ कुछ लोग होते हैं और हो सकते हैं। इन कुछ लोगों की वजह से उस धर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसके वे नाम मात्र अनुयायी हैं।
3. कुल मिलाकर मुस्लिम लोग सबसे अच्छे हैं

मुस्लिमों में बुरे लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुस्लिम कुल मिलाकर दुनिया के
सबसे अच्छे लोग हैं। मुस्लिम ही वह समुदाय है जिसमें शराब पीने वालों की संख्या
सबसे कम है और शराब न पीने वालों की संख्या सबसे ज्यादा। मुस्लिम कुल मिलाकर
dुनिया में सबसे ज्यादा धन-दौलत गरियों और भलाई के कामों में खर्च करते हैं।
सुशीलता, शर्म व हया, सादगी और शिष्टाचार, मानवीय मूल्यों और नैतिकता के मामले में
mुस्लिम हैं जो पुकारते हैं बहुत बढ़कर हैं।

4. कार को ढाइवर से मत तैलए

अगर आपको किसी नवीनतम मॉडल की कार के बारे में यह अंदाजा लगाना हो कि वह
कितनी अच्छी है और फिर एक ऐसा शख्स जो कार चलाने की विद्या से परिचित न हो
लेकिन वह कार चलाना चाहे तो आप किसी दोष देंगे। कार को या ढाइवर को। स्पष्ट है
kि इसके लिए ढाइवर की ही दोषी ठहराया जाएगा। इस बात का पता लगाने के लिए कि
kार कितनी अच्छी है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके ढाइवर को नहीं देखता बल्कि उस
kार की खूबियों को देखता है। उसकी रफ्तार क्या है? ईधन की खप्त कैसी है?

सुशीलता उपायों से संबंधित क्या कुछ मौजूद है? इत्यादि। अगर हम इस बात को
स्वीकार भी कर लें कि मुस्लिम लोग बुरे होते हैं, तब भी हम इस्लाम को उसके मानने वालों
के आधार पर नहीं लीला और पररक्षण चाहिए। अगर आप सही मानों में इस्लाम की
क्षमता को जानने और पररखने की खूबियों रखते हैं तो आपको उसके उचित और प्रमाणित
स्त्रोतों (कुराअन और सुन्नत) को सामने रखना चाहिए।

5. इस्लाम को उसके सही अनुयायी पैग़ाम्बर हजरत अहमद (सह. ) के द्वारा
जाँचे और परंपरिय

अगर आप व्यावहारिक रूप से जानना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है तो उसको
चलाने पर एक माहिर ढाइवर को नियुक्त किए। इसी तरह सबसे बहतर और इस्लाम
पर अमल करने के लिहाज से सबसे अच्छा नष्ट है जिसके द्वारा आप इस्लाम की असल
खूबियों को महसूस कर सकते हैं पैग़ाम्बर हजरत मुहम्मद (सह. ) हैं।

बहुत से ईमानदार और निष्ठुर गैर-मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस बात का साफ-साफ
उल्लेख किया है कि पैग़ाम्बर (सह. ) सबसे अच्छे इस्लामी थे। माइकल एच. हार्ट जिसने
‘इतिहास के सो महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोग’ पुस्तक लिखी है उसने इन महान व्यक्तियों में
sबसे पहला स्थान पैग़ाम्बर हजरत मुहम्मद (सह. ) को दिया है। गैर-मुस्लिमों द्वारा
pैग़ाम्बर हजरत मुहम्मद (सह. ) को श्रद्धानजी प्रस्तुत करने के इस प्रकार के अनेक नमूने
हैं। जैसे - थॉमस कार्लाइल, लॉर्ड मार्टिन आदि।
ग़ैर-मुस्लिमों को काफ़िर क्यों कहा जाता है?

प्रश्न :- मुसलमान ग़ैर-मुस्लिमों को काफ़िर के बुरे नाम से क्यों पुकारते हैं?
उत्तर :- ‘काफ़िर’ का अर्थ है इंकार करने वाला
अरबी शब्द काफ़िर ‘कुफ़्र’ से बना है। कुफ़्र का अर्थ है छिपाना या इंकार करना।
इस्लामी परिभाषा में काफ़िर वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम की सत्यता और उसकी सच्चाई को छिपाए या इंकार करे। अँग्रेजी में इस इंकार करने वाले के लिए ग़ैर-मुस्लिम (Non-Muslim) शब्द का प्रयोग किया जाता है।